

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 सितम्बर 2023—आश्विन 7, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर-स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2023

क्र. एफ 1 (ए) 18-2004-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अभय सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, देहात जोन, भोपाल को दिनांक 21 से 31 अगस्त 2023 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अभय सिंह, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री इरशाद वली, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अभय सिंह, भापुसे, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, देहात जोन, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अभय सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अभय सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभय सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2023

क्र. एफ 1 (ए) 148-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, पु. मु., भोपाल को निम्नलिखित अवधियों के अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

7555

- (1) दिनांक 15 मई से 29 जून 2023 तक, छियालीस दिवस लघुकृत अवकाश.
- (2) दिनांक 25 से 28 जुलाई 2023 तक, चार दिवस लघुकृत अवकाश.
- (3) दिनांक 16 से 18 अगस्त 2023 तक, तीन दिवस लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 15 व 19-20 अगस्त को विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नु भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2023

फा. क्र. 3819-इक्कीस-ब(दो) 2023.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वर्तमान में अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर मध्यप्रदेश में पदस्थ श्री राजेश गुप्ता, अतिरिक्त सचिव (संविदा) के कार्यकाल में दिनांक 10 अगस्त 2023 से एक वर्ष या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि करता है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय "मांग संख्या-29-2014-न्याय प्रशासन-(114)-विधि सलाहकार और परामर्शदाता योजना (3428)-महाधिवक्ता में वित्त वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 4701-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर में सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ श्री डॉ. लखनलाल गोस्वामी का सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इंदौर (रिक्त न्यायालय) के पद पर स्थानांतरण किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2023

फा. क्र. 3867-इक्कीस-ब(दो)-2023.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1374-21-ब(दो), दिनांक 28 मार्च 2023 द्वारा नियुक्त श्री उमेश गजांकुश, अतिरिक्त महाधिवक्ता,

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर द्वारा प्रेषित त्यागपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2023 से स्वीकृत कर उन्हें उक्त दिनांक से कार्यमुक्त करता है.

फा. क्र. 3868-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर में श्रीमती अर्चना खेर, अधिवक्ता (MP/1494/1997) को अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर एक वर्ष की अवधि के लिये, जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2023

पंजी. क्र. 3821-2023-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला मुख्यालय, भोपाल में विभागीय आदेश दिनांक 4 जुलाई 2018 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री धर्मेन्द्र सिंह तोमर का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

पंजी. क्र. 3823-2023-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील बड़ौदा, जिला शाजापुर में विभागीय आदेश दिनांक 18 सितम्बर 1995 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री अशोक कुमार गर्ग का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

पंजी. क्र. 3824-2023-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला मुख्यालय, उज्जैन में विभागीय आदेश दिनांक 9 जुलाई 1995 द्वारा नियुक्त नोटरी सुश्री लीला चौधरी, विभागीय आदेश दिनांक 16 मई 2005 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री राजेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं विभागीय आदेश दिनांक 9 सितम्बर 2008 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री महेन्द्र कुमार जैन तथा तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन में विभागीय आदेश दिनांक 10 जनवरी 1992 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री शांतिलाल छाजेड एवं तहसील नागदा, जिला उज्जैन में विभागीय आदेश दिनांक 3 सितम्बर 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री बद्रीलाल यादव का निधन होने के कारण उक्त नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास भट्टेले, अपर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2023

क्र. एफ-3-02-2020-तेरह-शुद्धि-पत्र.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-02-2020-तेरह, दिनांक 8 मई 2020 के संबंध में निम्नलिखित शुद्धि-पत्र जारी करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में परिशिष्ट में, कॉलम (2) में, क्रमांक 14 (ii) के सम्मुख शब्द एवं अंक "कसरावद-पीपलगांव 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य" के स्थान पर शब्द एवं अंक "कसरावद-पीपलगांव 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य" स्थापित किये जाएं.

F-3-02 2020-XIII-CORRIGENDUM.—The State Government, hereby, issues the following Corrigendum in respect of this department's Notification F-3-02-2020-13, dated 08th May, 2020, namely :—

In the said Notification, in the Annexure, in column (2), against serial number 14 (ii), for the words and figure "Kasrawad-Pipalgaon 132 KV DCSS line", the words and figure "Kasrawad-Pipalgaon 132 KV DCDS line" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज अग्रवाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2023

क्र. 1315-एफ 1 (ए)-06-2016-ए-सोलह.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 की उपधारा (2) सह-पठित मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा (2) एवं कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है :—

स. क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम (2)	सारणी श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी (3)
(1) 1	श्री राजकुमार गोंड	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, धार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरेंद्र कुमार सिंह, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश

इंदौर, दिनांक 19 सितम्बर 2023

क्र. 107-2018-19-30-पन्द्रह-234.—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 167 के अधधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 193-2014-15-30-पन्द्रह-114, इन्दौर, दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 को अधिक्रमित, कर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित एवं कॉलम (3) में उल्लिखित पदनाम

के अधिकारी को कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में जारी अस्थायी जीएसटीएन से संबंधित प्रकरणों में उक्त अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत वापसी की कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जाता है, अर्थात् :-

सारणी

अ. क्र.	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पदनाम	अपील सुनने हेतु अधिकारिता क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री राघवेन्द्र जायसवाल	उपायुक्त, राज्य कर, कार्यालय, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

लोकेश कुमार जाटव, आयुक्त, राज्य कर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2023

क्र. 10332-योजना-2023.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 19-196-2003-एक-4, दिनांक 28 जून 2004 एवं 19-24-2019-एक-4, दिनांक 21 फरवरी 2019 के अनुक्रम में, मैं, हर्ष दीक्षित, कलेक्टर, जिला राजगढ़, एतद्वारा, यह अधिसूचना जारी करता हूँ कि दिनांक 22 अगस्त 2023 को सम्पन्न राजगढ़, जिलास्तरीय नामकरण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार निम्न तालिका के कॉलम (02) में उल्लेखित संस्थान के नामकरण कॉलम (03) के अनुसार किए जाते हैं :-

तालिका

क्रमांक	संस्था	नामकरण
(1)	(2)	(3)
1	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहगढ़	भानुप्रकाशसिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहगढ़

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 22 सितम्बर 2023

(पारित दिनांक 22 सितम्बर 2023)

क्र. 3 सालि. राज.-विविध-1972-2023.—पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक-पुअ-ग्वा.-एसी प्रथम-09-डी-23, ग्वालियर दिनांक 03 मई 2023 के द्वारा जिला ग्वालियर के कुल आठ थाने पनिहार, झांसीरोड, पुरानी छावनी, बहोडापुर, आंतरी, बिलौआ, सिरोल एवं उटीला के थानों की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव निम्नानुसार इस कार्यालय को प्राप्त हुये. इन पर जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला ग्वालियर की अनुशंसा के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक-3 सालि. राज.-विविध-2023-16396, ग्वालियर, दिनांक 28 जुलाई 2023 से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 02 खण्ड ड के अनुसार अधिसूचना तैयार कर राजपत्र में प्रकाशन हेतु नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजा गया. अधिसूचना में 45 दिवस के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी, 45 दिवस व्यतीत हो जाने के उपरांत कोई आपत्ति नहीं आयी है.

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक-एफ-2(क)-9-08-बी-3-दो, भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के अनुसार जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिलास्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला लोक अभियोजन अधिकारी की समिति को दिये गये हैं. जिसके तारतम्य में पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर द्वारा थानों की सीमाओं में परिवर्तन हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला ग्वालियर, पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला ग्वालियर की समिति गठित की गई. समिति द्वारा सर्वसम्मति से पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव (थानों की सीमाओं में परिवर्तन) को यथावत् स्वीकार कर लिया गया है.

अतः, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्तरीय गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सारणी अनुसार जिला ग्वालियर के थाना क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन स्वीकार किया जाता है:—

सारणी

स. क्र. (1)	वर्तमान थाने का नाम (2)	ग्राम का नाम (3)	प्रस्तावित थाना (4)
1	पनिहार	छोडा खडी खेडा खेरिया मृत्यु सालूपुरा	झांसीरोड
2	पुरानी छावनी	हरिजन कॉलोनी कृष्णानगर पहाडिया मोतीझील रेशमपुरा बदनापुरा बरा	बहोडापुर
3	आंतरी	सांतरु कुशराजपुर पुरासानी तिलैथा रामनगर	झांसीरोड
4	बिलौआ	चंदेलों का पुरा तुरारी लखनौती खुर्द लखनौतीकलां नागौर बडोरी सिकरौदी अडूपुरा रबार सिकरौदा रौरा आदर्शपुरा (रौरा) बलराम का पुरा बस्तरी	सिरोल उटीला

उक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर आगामी कार्यवाही करें.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश
मेघनगर, दिनांक 5 सितम्बर 2023

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1491-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0028-B-121-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिससे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 205-भू-अर्जन-री-1-2023, मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दायीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-11 एवं आर.एम-11 की बायीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एस.एम-14 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-देदला, प.ह.नं.-62/82, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	मेघनगर	देदला, प.ह.न. 62/82	356/7	0.004
			356/8	0.018
			357/1	0.048
			364	0.015
			366/12	0.016
			366/10	0.038
			366/6	0.016
			366/9	0.012
			257/1	0.020
			257/2	0.012

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	मेघनगर	देदला, प.ह.न. 62/82	257/3	0.014
			257/4	0.036
			255/1	0.060
			256	0.010
			263/1	0.014
			183/1	0.014
			194	0.020
			196/1	0.014
			180/1	0.018
			182/1	0.016
			180/2	0.030
			140/7	0.020
			138/2	0.038
			138/1	0.038
			131	0.019
			257/6	0.034
			250/1	0.014
			250/2	0.022
			250/3	0.018
			243	0.018
			242/1	0.010
			239	0.010
			240	0.022
			232	0.034
			224	0.022
			223	0.025
			230	0.002
			योग . .	<u>0.791</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1494-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0025-B-121-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 220-भू-अर्जन-री-1-2023, मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 पाईप नहर एवं उसकी दायीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-06 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-सजेली नरसिंगपुरा, प.ह.नं.-25/68, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	मेघनगर	सजेली नरसिंगपुरा, प.ह.न. 25/68	419/1	0.006
			422	0.010
			423/1	0.004
			418	0.036
			428	0.036
			166/1	0.039
			163	0.036
			65	0.018
			158/1	0.020
			145/3	0.039
			162	0.005
			159/2	0.015
			159/1	0.028
			143	0.034
			134/1	0.005
			145/4	0.011
			145/7	0.005
			144	0.033
			योग . .	<u>0.380</u>

प्ररूप “घ”

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1497-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0024-B-121-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 195-भू-अर्जन-री-1-2023, मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-3 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-4 पाईप नहर की दायीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-जामदा,, प.ह.नं.-55/76, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	मेघनगर	जामदा, प.ह.न. 55/76	126	0.082
			123/1	0.011
			118/2	0.029
			123/2	0.018
			118/3	0.035
			123/3	0.018
			117	0.002
			135	0.028
			109	0.026
			108/2	0.024
			108/4	0.014
			108/3	0.028
			149/1	0.042
			149/3	0.028
			186/2	0.013
			181/7	0.001
184	0.012			
182	0.010			
			योग . . .	<u>0.421</u>

प्ररूप "घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1500-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0033-B-121-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 190-भू-अर्जन-री-1-2023, मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दाँयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-पंचपीपलिया, प.ह.नं.-56/77, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चप्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची				
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	मेघनगर	पंचपीपलिया, प.ह.न. 56/77	264/4	0.025
			264/3	0.008
			264/1	0.015
			264/2	0.015
			266	0.023
			271/2	0.010
			271/1	0.013
			274/1	0.025
			274/2	0.029
			275	0.008
			277/2	0.018
			277/3	0.034
			287	0.047
			290/3	0.048
			290/2	0.029
			201/2	0.030
			290/1	0.063
			209/4	0.016
			295	0.004
			296	0.014
			203	0.014
			204	0.015
			205	0.003
			202	0.040
			200	0.016
			199	0.050
			योग	0.612

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1503-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0030-B-121-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 180-भू-अर्जन-री-1-2023, मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-शिवगढ़, प.ह.नं.-53/73, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषण की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची				
जिला	तहसील	पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	मेघनगर	शिवगढ़,	267/2	0.016
		प.ह.न. 53/73	267/1	0.014
			261/3	0.010
			261/2	0.043
			197	0.010
			201	0.020
			198	0.023
			149	0.005
			150	0.043
			158/2	0.006
			159	0.006
			160	0.004
			163	0.045
			योग	

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1506-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0034-B-121-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 185-भू-अर्जन-

री-1-2023, मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दायीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-सेमलिया, प.ह.नं.-62/82, रा.नि.मं.-2, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची				
जिला	तहसील	पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	मेघनगर	सेमलिया, प.ह.न. 62/82	28	0.041
			26	0.085
			59	0.003
			24/4	0.012
			24/1	0.006
			24/3	0.013
			25/1	0.004
			24/2	0.047
			योग . .	<u>0.211</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1509-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0027-B-121-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 210-भू-अर्जन-री-1-2023, मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 व डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-हत्यादेली, प.ह.नं.-48, रा.नि.मं.-01, मेघनगर, तहसील-मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

जिला	तहसील	अनुसूची		खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
		ग्राम/पटवारी हल्का	क्रमांक		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
झाबुआ	मेघनगर	हत्यादेली, प.ह.न. 48		351	0.002
				181	0.030
				353	0.034
				352	0.024
				340	0.016
				296	0.044
				342/1	0.022
				292	0.067
				291	0.020
				290/1	0.010
				290/2	0.027
				374/4	0.018
				374/3	0.010
				374/2	0.010
				374/1	0.042
				630	0.032
				632	0.008
				631	0.012
				628	0.013
				654/3	0.035
				655	0.012
				634/4	0.020
				687/1/6	0.012
				626	0.008
				625	0.009
				622/2	0.015
				654/2	0.011
				674/2	0.051
				673/5	0.042
				687/3	0.016
	687/12	0.016			
	690/1	0.060			
	748/2	0.046			
	747/1	0.008			
	746	0.028			
	747/2	0.023			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	मेघनगर	हत्यादेली, प.ह.न. 48	747/3 854/2 850/1 836 835 834 833 831/12 823/12 823/14 813/11 813/10 813/5 813/1 809 815/1 808	0.002 0.028 0.012 0.034 0.018 0.016 0.023 0.048 0.020 0.018 0.012 0.008 0.016 0.040 0.030 0.030 0.040
			योग . .	<u>1.268</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1512-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0042-B-121-2022-23.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 230-भू-अर्जन-री-1-2023, मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 पाईप नहर एवं उसकी दाँयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम. 06 तथा बाँयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम.-11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-नौगांवा, प.ह.नं.-49/69, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची				
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	मेघनगर	नौगांवा, प.ह.न. 49/69	1860 1858	0.033 0.040

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	मेघनगर	नौगांवा, प.ह.न. 49/69	1855/2	0.035
			1855/1	0.038
			1356	0.038
			1360	0.039
			1355	0.010
			1365	0.015
			1361	0.030
			1362/3	0.010
			1242/5	0.002
			1362/2	0.006
			1363	0.013
			1226	0.007
			1213/1	0.004
			1214/3	0.017
			1216/3/1	0.003
			1218/3	0.008
			1214/2	0.007
			1216/2	0.003
			1218/2	0.008
			1215/1	0.014
			1216/4	0.003
			1216/1	0.003
			1217/1	0.022
			1218/1	0.006
			1220	0.018
			1222	0.004
			1223	0.006
			1227	0.006
			1228	0.005
			1229	0.004
			1263/1	0.020
			1264/3	0.019
			1260	0.029
			987/2/4	0.009
			988/1	0.028
			988/2	0.025
			991	0.014
			993	0.008
			994	0.008
			996	0.037
			758/1	0.049

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	मेघनगर	नौगांवा, प.ह.न. 49/69	1009	0.042
			741	0.022
			929/2	0.034
			769	0.021
			768	0.036
			767	0.017
			766	0.009
			765	0.007
			764	0.005
			763	0.005
			761/2/2	0.008
			762	0.006
			760	0.007
			757/1	0.026
			756/2	0.008
			756/1	0.020
			754	0.053
			748	0.024
			747/4	0.004
			742/2	0.011
			742/1	0.022
			1397	0.013
			1394	0.003
			1398	0.029
			1393	0.010
			1392	0.015
			1391	0.005
			1390	0.018
			1412	0.043
			1409	0.018
			668	0.026
			669	0.017
			655	0.017
			652/5	0.022
			651	0.029
			652/1	0.061
			647	0.079
			640/2	0.023
			638/2	0.030
			638/1	0.011
			637	0.034
			635/1	0.019
			635/2	0.010
			635/3	0.010
			635/4	0.010
			योग	<u>1.642</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1515-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0040-B-121-2022-23.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 240-भू-अर्जन-री-1-2023, मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की बाँयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-31 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-अगराल, प.ह.नं.-46, रा.नि.मं.-01, मेघनगर, तहसील-मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	मेघनगर	अगराल,	459	0.109
		प.ह.न. 46	458	0.019
			457	0.029
			451	0.008
			448	0.079
			446	0.016
			435	0.025
			447	0.014
			444/1	0.025
			420	0.061
			331	0.015
			योग	<u>0.400</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1518-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0036-B-121-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 165-भू-अर्जन-री-1-2023, मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-गोपालपुरा, प.ह.नं.-50/70, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	मेघनगर	गोपालपुरा	224/11	0.018
		प.ह.न. 50/70	224/3	0.008
			224/9	0.006
			224/2	0.005
			224/8	0.008
			224/6	0.009
			224/7	0.011
			224/5	0.009
			223/2	0.023
			204/4	0.030
			204/5	0.024
			193	0.020
			186/2	0.046
			195/2	0.037
	195/1	0.028		
	189	0.014		
		योग	0.296	

प्ररूप "घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1521-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0039-B-121-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 150-भू-अर्जन-री-1-2023, मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दाँयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर् एम-7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बावड़ी फारेस्ट, प.ह.नं.-58/74, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चप्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	मेघनगर	बावड़ी फारेस्ट,	265	0.007
		प.ह.न. 58/74	266	0.049
			125/1	0.033
			125/3	0.008
			125/2	0.020
			123/1	0.037
			84/6	0.031
			84/3	0.031
			84/2	0.005
			87/2	0.033
			87/1	0.046
			75/14	0.016
			योग	0.316

प्ररूप "घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1524-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0035-B-121-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 170-भू-अर्जन-री-1-2023, मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-गडवाड़ा, प.ह.नं.-47, रा.नि.मं.-01, मेघनगर, तहसील-मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी		खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
		हल्का	क्रमांक		
(1) झाबुआ	(2) मेघनगर		गडवाड़ा, प.ह.न. 47	448	0.018
				443	0.008
				440/4	0.040
				439/4	0.015
				439/5	0.009
				439/6	0.012
				302	0.010
				299	0.036
				297/1	0.010
				287/4	0.066
				287/3	0.031
				258	0.076
				250	0.028
				251	0.002
				248/1	0.083
240/4	0.032				
243	0.042				
योग					<u>0.518</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1527-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0026-B-121-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 215-भू-अर्जन-री-1-2023, मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 पाईप नहर की बाँयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम. 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-तलावली, प.ह.नं.-24/67, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चप्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

जिला	तहसील	अनुसूची		उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
		ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	मेघनगर	तलावली, प.ह.न. 24/67	1531/1 1334 1332	0.043 0.023 0.013
			योग . .	<u>0.079</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1530-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0038-B-121-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 155-भू-अर्जन-री-1-2023, मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की बाँयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम.-31 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-नवापाड़ा, प.ह.नं.-47, रा.नि.मं.-01, मेघनगर, तहसील-मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चप्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची				
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	मेघनगर	नवापाड़ा, प.ह.न. 47	168	0.005
			158	0.025
			52	0.045
			41/9	0.012
			41/8	0.014
			41/6	0.018
			41/1	0.007
			40	0.007
			38	0.050

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1533-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0029-B-121-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 195-भू-अर्जन-री-1-2023, मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दायीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम.-11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-मालखण्डवी, प.ह.नं.-60/80, रा.नि.मं.-2, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची				
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	मेघनगर	मालखण्डवी प.ह.न. 60/80	392	0.040
			391/2	0.024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	मेघनगर	मालखण्डवी	108	0.021
		प.ह.न. 60 / 80	107	0.044
			105	0.040
			103	0.025
			99	0.038
			90	0.018
			95	0.020
			94	0.020
			91	0.002
			86/4	0.014
			86/3	0.030
			84	0.019
			83	0.016
			81/4	0.005
			81/3	0.005
			81/2	0.006
			81/1	0.006
			योग	<u>0.393</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1536-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0043-B-121-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 225-भू-अर्जन-री-1-2023, मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दायीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम.-6 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-राजपुरा, प.ह.नं.-51/71, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	मेघनगर	राजपुरा, प.ह.न. 51 / 71	120/19 120/18	0.004 0.026

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	मेघनगर	राजपुरा, प.ह.न. 51/71	120/17	0.022
			120/16	0.010
			113/2	0.010
			113/1	0.006
			112/8	0.013
			112/3	0.004
			112/7	0.014
			112/6	0.014
			112/4	0.009
			132/1	0.027
			131	0.006
			135	0.003
			136/4	0.015
			136/3	0.013
			136/2	0.038
			136/1	0.010
			141	0.029
			63	0.045
			56/20	0.009
			56/16	0.008
			56/19	0.008
			56/14	0.014
			56/18	0.008
			56/17	0.012
			56/13	0.026
			34/1	0.013
			36/2	0.022
			35	0.024
			40	0.006
			31/3	0.012
			31/2	0.008
			31/1	0.008
			38	0.020
			29/5	0.034
			29/3	0.053

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	मेघनगर	राजपुरा,	24/2	0.135
		प.ह.न. 51/71	22	0.114
			25	0.018
			26/1	0.012
			263	0.005
			265/15	0.015
			265/14	0.016
			297	0.035
			265/13	0.016
			262	0.039
			246/15	0.011
			246/14	0.022
			246/20	0.030
			246/4	0.016
			246/3	0.018
			248/1	0.008
			331	0.010
			246/9	0.004
			246/21	0.039
			248/2	0.017
			315	0.054
			योग . . .	<u>1.237</u>

प्ररूप "घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-1539-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-0032-B-121-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 200-भू-अर्जन-री-1-2023, मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-महुड़ा, प.ह.नं.-53/73, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची				
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	मेघनगर	महुड़ा प.ह.नं. 53/73	480	0.057
			481	0.037
			483	0.038
			446/3	0.005
			442/2	0.010
			446/2	0.028
			442/1	0.010
			447/20	0.004
			443/2	0.023
			441	0.020
			442/3	0.010
			435/4	0.025
			435/2	0.008
			435/3	0.009
			435/1	0.013
			429	0.015
			355/2	0.035
			383	0.038
			382/2	0.045
			380	0.019
372	0.048			
355/1	0.024			
287/1	0.026			
289	0.015			
290	0.068			
			योग . .	<u>0.630</u>

मुकेश सोनी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 25 मई 2023

प. क्र. 291-प्रका.-भू-अर्जन-2022-23.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा 19 की कार्यवाही कराई थी. कतिपय/अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 17 दिसम्बर 2022 से 17 दिसम्बर 2023 तक के लिए समय-सीमा बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा-12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकवा (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रीवा	जवा	बड़ाछ	5	0.155	कार्यपालन यंत्री त्योथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)	त्योथर बहाव सिंचाई योजना के मुख्य/माइनर/सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 293-प्रका.-भू-अर्जन-2022-23.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा 19 की कार्यवाही कराई थी. कतिपय/अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 17 दिसम्बर 2022 से 17 दिसम्बर 2023 तक के लिए समय-सीमा बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा-12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकवा (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रीवा	जवा	छदहना	28/5/ख	0.129	कार्यपालन यंत्री	त्योथर बहाव सिंचाई योजना के मुख्य/माइनर/सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
			232	0.053	त्योथर नहर संभाग,	
			178	0.123	सिरमौर, जिला रीवा	
			योग.	0.305	(म.प्र.)	

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

प. क्र. 295-प्रका.-भू-अर्जन-2022-23.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा 19 की कार्यवाही कराई थी. कतिपय/अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 17 दिसम्बर 2022 से 17 दिसम्बर 2023 तक के लिए समय-सीमा बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा-12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकवा (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रीवा	त्योथर	बौना कोठार	86	0.097	कार्यपालन यंत्री त्योथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)	त्योथर बहाव सिंचाई योजना के मुख्य/माइनर/सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

प. क्र. 301-प्रका.-भू-अर्जन-2022-23.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा 19 की कार्यवाही कराई थी. कतिपय/अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 17 दिसम्बर 2022 से 17 दिसम्बर 2023 तक के लिए समय-सीमा बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा-12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकवा (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रीवा	त्योथर	खटखरी	3	0.210	कार्यपालन यंत्री त्योथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)	त्योथर बहाव सिंचाई योजना के मुख्य/माइनर/सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
		खुर्द	4	0.256		
		कोठार	5	0.096		
			11	0.547		
			योग.	1.109		

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

प. क्र. 303-प्रका.-भू-अर्जन-2022-23.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादरिश्ता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा 19 की कार्यवाही कराई थी. कतिपय/अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 17 दिसम्बर 2022 से 17 दिसम्बर 2023 तक के लिए समय-सीमा बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा-12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकवा (हे. मं.)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रीवा	त्योथर	अंतरी	23	0.011	कार्यपालन यंत्री	त्योथर बहाव सिंचाई योजना के
			24	0.132	त्योथर नहर संभाग,	मुख्य/माइनर/सब माइनर नहर
			25	0.004	सिरमौर, जिला रीवा	निर्माण में आने वाली भूमि के लिए
			27	0.125	(म.प्र.)	तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का
			28	0.139		अर्जन.
			31	0.015		
			योग. . 0.426			

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

प. क्र. 297-प्रका.-भू-अर्जन-2022-23.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादरिश्ता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा 19 की कार्यवाही कराई थी. कतिपय/अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 17 दिसम्बर 2022 से 17 दिसम्बर 2023 तक के लिए समय-सीमा बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा-12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकवा (हे. मं.)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रीवा	त्योथर	टंगहा	691	0.200	कार्यपालन यंत्री	त्योथर बहाव सिंचाई योजना के
					त्योथर नहर संभाग,	मुख्य/माइनर/सब माइनर नहर
					सिरमौर, जिला रीवा	निर्माण में आने वाली भूमि के लिए
					(म.प्र.)	तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का
						अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

प. क्र. 299—प्रका.—भू-अर्जन—2022—23.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादरिश्ता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा 19 की कार्यवाही कराई थी। कतिपय/अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 17 दिसम्बर 2022 से 17 दिसम्बर 2023 तक के लिए समय-सीमा बढ़ाई जाती है। सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा-12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रीवा	त्योथर	घुसरूम	18	0.243	कार्यपालन यंत्री	त्योथर बहाव सिंचाई योजना के
			19	0.053	त्योथर नहर संभाग,	मुख्य/माइनर/सब माइनर नहर
			योग.	0.296	सिरमौर, जिला रीवा	निर्माण में आने वाली भूमि के लिए
					(म.प्र.)	तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 29 अगस्त 2023

प. क्र. 723—प्रका.—भू-अर्जन—2022—23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत करता है, चूंकि त्योथर नहर सूक्ष्म दबाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		धारा-12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम			प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रीवा	त्योथर	डीह		2.100	कार्यपालन यंत्री	त्योथर नहर सूक्ष्म दबाव सिंचाई योजना
					त्योथर नहर संभाग,	की मुख्य/माइनर/सब माइनर नहर
					सिरमौर, जिला रीवा	निर्माण में आने वाली भूमि के लिए
					(म.प्र.)	तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 726-प्रका.-भू-अर्जन-2022-23.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योथर	खटखरी कला	1.210	कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)	त्योथर बहाव सिंचाई योजना के मुख्य/माइनर/सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 729-प्रका.-भू-अर्जन-2022-23.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योथर	गोंद कला	1.050	कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)	त्योथर बहाव सिंचाई योजना के मुख्य/माइनर/सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 732-प्रका.-भू-अर्जन-2022-23.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	छदहना	4.500	कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के मुख्य/माइनर/सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पॉल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 11 सितम्बर 2023

क्र. 1131-भू-अर्जन-2023.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील-नागौद

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
11/1/1/22	0.006
11/1/1/3	0.006
314/1	0.015
321/1	0.068
11/1/1/5	0.005
15/2/2/1/10	0.007
71/1	0.046
82/4/1	0.037
82/5/1	0.038
11/1//1/21	0.007
69/2/1/1	0.098
68/2/1/1/1	0.002
11/1//1/19	0.006

(1)	(2)	(1)	(2)
15/2/2/1/9	0.007	8/3/1	0.006
15/2/2/1/13	0.010	9/3/1	0.042
13/1/4	0.006	84/1	0.069
13/1/7	0.006	468/1/1/23	0.010
468/1/1/4	0.010	300/2/1	0.074
300/1/1	0.074	262/1	0.056
7/1	0.006	274/1	0.130
552/2	0.090	468/1/1/13	0.009
468/1/1/9	0.010	11/1/1/15	0.005
11/1/1/26	0.005	468/1/1/2	0.007
15/2/2/1/14	0.007	11/1/1/17	0.006
468/1/1/24	0.009	468/1/1/15	0.009
11/1/1/13	0.006	550/1	0.024
468/1/1/5	0.010	545/1/1	0.104
468/1/1/14	0.010	551/1	0.009
468/1/1/12	0.010	468/1/1/19	0.010
11/1/1/8	0.005	468/1/1/20	0.010
470/1/1	0.005	15/1/1/1	0.133
470/2	0.007	14/1/1	0.006
468/1/1/21	0.010	15/2/2/1/12	0.007
481/1	0.140	11/1/1/1	0.020
14/2/1/2	0.006	10/1	0.002
7/2	0.105	64/1	0.017
6/2/1	0.009	11/1/1/23	0.006
11/1/1/9	0.005	468/1/1/17	0.009
13/1/6	0.006	15/2/2/1/11	0.007
468/1/1/22	0.010	15/2/2/1/7	0.007
15/2/2/1/3	0.007	264/1/1/1/1/1	0.352
15/2/2/1/8	0.007	275/1	0.020
11/1/1/6	0.005	468/1/1/10	0.010
11/1/1/16	0.006	15/2/2/1/15	0.007
9/3/2	0.043	273/1/1	0.041
11/1/1/11	0.006	11/1/1/18	0.006
10/2	0.006	11/1/1/24	0.006
11/1/1/10	0.006	72/2	0.003
279/1/2	0.013	13/1/1	0.005
468/1/1/1	0.020	15/2/2/1/1	0.023
9/1/1	0.090	14/2/1/1	0.004
277/1	0.048	468/1/1/18	0.010
468/1/1/8	0.010	468/1/1/11	0.009
15/2/2/1/4	0.007	11/1/1/14	0.005
468/1/1/16	0.010	13/1/5	0.006
86/2/1	0.151	11/1/1/6	0.005
85/2/1	0.012	15/2/2/1/3	0.007
468/1/1/6	0.009	13/1/2	0.006
276/2/1	0.025	15/2/2/1/16	0.007

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 14 सितम्बर 2023

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र.क्र 35-अ-82-2022-23-5926.-चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, (क्र. 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला-शहडोल
(ख) तहसील-ब्यौहारी
(ग) ग्राम-मउ
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)-2.041 हेक्टेयर

खसरा नंबर	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
36/1	0.076
38/1	0.135
40/1	0.460
40/2	0.350
54	0.210
55/1	0.670
111/1	0.100
39/2	0.040
योग . . 2.041	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-राज्यमार्ग-57 के रीवा-ब्यौहारी-टेटका मोड खण्ड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि.मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि.मी. और आरंभ 40.45 कि.मी. से 111.50 कि.मी. तक, डिजाईन लम्बाई 90 कि.मी.).
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यौहारी, जिला शहडोल/संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश विकास निगम लिमिटेड, शहडोल के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र.क्र 33-अ-82-2022-23-5927.-चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, (क्र. 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला-शहडोल
(ख) तहसील-ब्यौहारी
(ग) ग्राम-चंदोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)-2.427 हेक्टेयर

खसरा नंबर	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
161/1/3	0.809
168/6/4	0.202
168/6/3	0.203
168/6/2/1	0.101
168/6/2/2	0.101
168/6/1	0.202
168/5	0.809
योग . . 2.427	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-राज्यमार्ग-57 के रीवा-ब्यौहारी-टेटका मोड खण्ड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि.मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि.मी. और आरंभ 40.45 कि.मी. से 111.50 कि.मी. तक, डिजाईन लम्बाई 90 कि.मी.).
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यौहारी, जिला शहडोल/संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश विकास निगम लिमिटेड, शहडोल के कार्यालय में किया जा सकता है.

शहडोल, दिनांक 18 सितम्बर 2023

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र.क्र 37-अ-82-2022-23-5995.-चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और

पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, संशोधन (क्र. 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन:-

खसरा नंबर	रकवा (हे. में.)
(1)	(2)
606/6/1	0.095
606/6/2	0.095
600/1/1	0.068
593/2	0.010
595/1	0.049
595/2	0.048
596/1	0.070
596/2	0.070
601/1/1/1	0.040
601/1/1/2	0.036
योग . . 0.581	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-राज्यमार्ग-57 के रीवा-ब्यौहारी-टेटका मोड खण्ड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि.मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि.मी. और आरंभ 40.45 कि.मी. से 111.50 कि.मी. तक, डिजाईन लम्बाई 90 कि.मी.).
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर, जिला शहडोल/संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश विकास निगम लिमिटेड, शहडोल के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र.क्र 34-अ-82-2022-23-5996.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, संशोधन (क्र. 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन:-

खसरा नंबर	रकवा (हे. में.)
(1)	(2)
116/1	0.610
116/2/2	0.040
योग . . 0.650	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-राज्यमार्ग-57 के रीवा-ब्यौहारी-टेटका मोड खण्ड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि.मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि.मी. और आरंभ 40.45 कि.मी. से 111.50 कि.मी. तक, डिजाईन लम्बाई 90 कि.मी.).
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर, जिला शहडोल/संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश विकास निगम लिमिटेड, शहडोल के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र.क्र 36-अ-82-2022-23-5997.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, संशोधन (क्र. 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन:-

खसरा नंबर	रकवा (हे. में.)
(1)	(2)
116/1	0.610
116/2/2	0.040
योग . . 0.650	

खसरा नंबर (1)	रकवा (हे. में.) (2)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—राज्यमार्ग—57 के रीवा—ब्यौहारी—टेटका मोड़ खण्ड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि.मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि.मी. और आरंभ 40.45 कि.मी. से 111.50 कि.मी. तक, डिजाईन लम्बाई 90 कि.मी.).
145/1/1	0.020	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर, जिला शहडोल/संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश विकास निगम लिमिटेड, शहडोल के कार्यालय में किया जा सकता है.
145/1/2	0.020	
145/2/1	0.020	
145/2/2/1	0.010	
145/2/2/2	0.010	
145/2/2/3	0.010	
145/3/1	0.020	
145/3/2	0.020	
145/4	0.040	
146	0.020	
योग . . 0.190		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना वैद्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 जून 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-22-23-प. क्र. 408-भू-अर्जन-23.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कोलवार	0.150	कार्यपालन यंत्री बाणसागर पक्का बांध, संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (म.प्र.)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(2)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला सतना मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र01206/भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	मझगवां	6.6407 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की मझगवां सबमाइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र01207/भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	समोगर कोठार	0.557 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर अंतर्गत पडरिया वितरिका निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र012008/भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	गोरा	5.953 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत अजवानी वितरिका निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र012009/भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	पाल	2.867 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के जुडमनियां माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.1210./भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	भटनबारा	12.2664	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म0प्र0)	नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर, सोनवर्षा सब माइनर, भटनवारा सब माइनर एवं सेमरी दुबे सब माइनर-2 के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.1211./भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	करही कला	2.9887	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म0प्र0)	नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की करही खुर्द माइनर एवं पोड़ी गरादा माइनर 1 के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.1212./भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	चौथहा	1.6247	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म0प्र0)	नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सोनवर्षा माइनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.1213./भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	कटिया	1.0637	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म0प्र0)	नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की करही खुर्द माइनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1214/भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	पतेरी	1.8678 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका की उमरी माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.1215/भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	गोबराव कला	1.8684	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र0 07 सतना, जिला सतना (म0प्र0)	नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की गोबराव कला माइनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.1216./भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	लगरगवां	0.9317	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म0प्र0)	नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर 01 एवं 02 के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.1217./भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	पोड़ी गरादा	9.7104	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म0प्र0)	नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की पोड़ी गरादा माइनर 01 एवं 02 के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.1218/भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	करही खुर्द	1.7028	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म0प्र0)	नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की करही खुर्द माइनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.1219/भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	उरदना	5.5308	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म0प्र0)	नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की पोड़ी गरादा माइनर 1 के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.1220/भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	उमरी	1.3365	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म0प्र0)	नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की उमरी माइनर एवं सोनवर्षा माइनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.1221/भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	मतरी बरमेन्द्र	2.7072	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म0प्र0)	नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवा वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.1222/भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	मतरी बरमेंद्र	2.4696	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म0प्र0)	नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.1223/भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	बड़खेरा	1.5391	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म0प्र0)	नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सोनवर्षा माइनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1224/भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	जमुनिहाई	4.0896 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1225/भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	नयागांव	9.6804 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1226/भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	पैकोरी	0.8556 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1227/भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	खड़ौरा	1.6620 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1228/भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	चोरबरी	8.6964 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1229/भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	चंदई	7.1964 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1230/भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	स्वाता	6.7572 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1231/भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	कमलो	2.1996 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.12.32/भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	मौहरिया	8.3808 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.12.32/भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	ऐजी	5.5104 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1234/भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	पचौर	0.8496 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1235/भू-अर्जन/23 दि0 20/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	मुगहर	3.719 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुइया माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1226/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	कोडर	3.455 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत तिघरा माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1257/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	उमरी चौर्वे	1.234 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत बमुरहिया माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1258/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	शहपुर	0.108 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत माडाटोला सब माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1259/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	उमराही बिहारीराम	9.0888 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत सोनौरा उपशाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1240/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	धमनहा	2.215 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत तिघरा सब माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0 क्र0 अ 82/22-23 पत्र क्र0 1241/भू-अर्जन/23 दिनांक 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा-11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	बैरागल	3.077 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत कंचनपुर माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1242/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	माडाटोला	1.429 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत माडाटोला सब माइनर नं. 2 निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1243/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	खुटहा	4.0668 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1244/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	करौंदी	1.1429 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर टेल वितरिका निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1245/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	भंवर	7.0656 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1246/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	बड़ोर	6.0756 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1247/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	खटोला	5.4828 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.1248/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) जगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	करैया देवरी	0.0420	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ0मु0 मैहर, जिला सतना (म0प्र0)	रीवा शाखा नहर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1249/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	त्योधरा नं.-2	1.933 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की पड़रिया माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1250/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	बैरागल	0.772 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की धतुई माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1251/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	पिपरी	2.7984 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की कोल माइनर एवं बिलौधा सबमाइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1257/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	भाद	1.8722 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बडोहरा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1253/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	पिपरी	2.8608 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बिकरा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 1254/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	पुरुषोत्तमपुर	2.5848 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 1255/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	माड़ाटोला	0.470 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत माड़ाटोला सब माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1256/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	पनगरा	2.1660 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1257/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	झिरिया	3.9096 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1258/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	हड़हा	6.1688 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर हड़हा सबमाइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1259/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	अतरौरा खुर्द	0.5273 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की अतरौरा सबमाइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1260./भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	अकौना साठिया	7.4745 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कर्मांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर अकौना माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.1261./भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	नौगवां	1.0032	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म0प्र0)	नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.1202/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	पपरेगा	2.4442	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म0प्र0)	नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की करही खुर्द माइनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.1263/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	भरहुत	9.4855	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म0प्र0)	नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.1264/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	देवार	0.8424	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म0प्र0)	नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.1265/भू-अर्जन/23 दि0 21/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	कोलगवां	2.1132	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म0प्र0)	नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की गोबरांव कला माइनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0 ~~1266~~ / भू-अर्जन / 23 दि0 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	बंदरहा	1.6588	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म0प्र0)	नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत डायवर्सन नाला के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0 ~~1267~~ / भू-अर्जन / 23 दि0 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	बांधी मौहार	15.3006	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म0प्र0)	नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की गोबराव कला माइनर एवं हरदुआ कोठार सब माइनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1396/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	बड़खेर	2.2272 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1397/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	टीकर	8.9720 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1598/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	खड़ौरी	4.0728 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1379/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	खूझा	2.8897 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की लगरगवां वितरिका निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.14.50/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	बंदरहा	1.0912 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की लगरगावां वितरिका निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.14.50/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उचेहरा	कुंदहरी कला	9.6943 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की कुंदहरी खुर्द माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1402/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	कोटरा	1.177 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत धतुई माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1403/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	किरहाई	2.389 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत धतुवा माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1404/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	मौहारी कटरा	2.300 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के बैजनाथ टेल माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1405/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	कुल्लुहा	0.356 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के मझगावां माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1406/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	बिरसिंहपुर	2.679 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के बैजनाथ टेल माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1407/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	पोड़ी खूर्द	2.156 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत धतुई माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1428/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	सेमरी	6.457 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की पडरिया वितरिका निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1409/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	किरहाई	1.291 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 1410/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	रैकवार	6.013 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के रैकवार सब माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 1411/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	बछरा	0.948 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत तमरा वितरिका के तमरा माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1412/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	धमना	3.957 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के मझगावां माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1413/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	चोरखंडी	6.357 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1414/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	वजवाही	2.236 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका के वजवाही माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1415/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	ककरा	3.931 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत वैजनाथ उपशाखा के मौहट सब माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1416/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	भीषमपुर	11.567 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1417/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	अमरपाटन	वजवाही	1.201 हे	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.141.9./भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	पड़रिया	2.030 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की मौहारी वितरिका की नौवस्ता माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.142.20/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	चनपुरवा	3.0954 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1422/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	चौरा	2.1824 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1422/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	इटमा	3.420 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर मौहारी वितरिका निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1423/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	सेमरवारा	13.5564 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर धौरहरा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1424/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	नौवस्ता	3.894 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर मौहारी वितरिका निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1425/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	चौरा खुर्द	1.8975 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1426/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	गोवरिया	3.9028 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के मगरौरा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1427/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	वंशीपुर	4.6156 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के तंनजा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1428/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	कनियारी	1.5336 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के खरवाही माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.14.29/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	बठिया	6.1930 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर जरमोहरा वितरिका निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.14.30/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	रेउसा	1.0152 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की नरौरा वितरिका की करतहा निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1432/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	कर्पवाह भाइप	2.2644 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा वितरिका एवं चौरा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1432/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	चौरा	1.6344 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के करही वृत्त माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 1433/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	दुबारी कोटार	3.3624 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के दुवारी उन्मूलन माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 1434/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	रहिकवास	1.610 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की चंदकुईया सब माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 1435/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	छींदा	2.492 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की मौहारी वितरिका की छींदा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 1436/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	खडौरा	0.6948 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र01437/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	खडौरा	8.3215 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र01438/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	कठवरिया	2.493 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की दुवहिया सब माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1439/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	कचलोहा	3.810 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की कचलोहा सबमाइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1440/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	कठवरिया कला	4.6145 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1441/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उंचेहरा	भिटारी	2.770 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर मौहारी वितरिका की सितपुरा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1442/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उंचेहरा	लखमद	3.696 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की मौहारी वितरिका की सितपुरा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1643/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उंचेहरा	खैरी	2.246 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर मौहारी वितरिका की सितपुरा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.1644/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	डाम्हा	0.521 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर मौहारी वितरिका निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 1445/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	इटमा	4.9332 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के रामपुर माइनर एवं बढौरा सबमाइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 1446/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	गंगवरिया	6.8420 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर धौरहरा माइनर के अमिलिया सबमाइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र01447/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	इटौरा कला	3.7296 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की हड्डा माइनर एवं अतरौरा सब माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र01448/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	बराकला	9.0222 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 1449/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	चिरहुली 142	5.3603 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 1450/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	सोनौरा	1.2636 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर खरवाही वितरिका निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 1451/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	इटमा नवीन	1.2708 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बर्गी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनहा वितरिका निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 1451/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	चोरहटा	13.1405 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर बैजनहा वितरिका निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 1453/भू-अर्जन/23 दि0 26/09/2023 त्रुंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की प्रनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रामपुर बाघेलान	खरवाही	14.7228 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना. (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग**

प्र.क्र.-0002-अ-82-2021-22-मेहरागांव

नर्मदापुर, दिनांक 3 जुलाई 2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खानों (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानों (6) में उसे सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक तीनस, सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा-1 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खानों (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा-11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
नर्मदापुरम	इटारसी	मेहरागांव	268/2/1/2	0.024 हेक्टेयर	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी इटारसी	इटारसी-उत्तर दक्षिण डाउन गेड सेपरेटर फ्लाई ओवर रेल परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन
कुल रकबा				0.024 हेक्टेयर		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता :- इटारसी-उत्तर दक्षिण डाउन गेड सेपरेटर फ्लाई ओवर रेल परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम मेहरागांव

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-0004-अ-82-2021-22-मेहरागांव

नर्मदापुर, दिनांक 22 सितम्बर 2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खानों (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानों (6) में उसे सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक तीनस, सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा-1 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खानों (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा-11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
नर्मदापुरम	इटारसी	मेहरागांव	268/2/मिन-3/1	0.010 हेक्टेयर	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी इटारसी	इटारसी-उत्तर दक्षिण डाउन गेड सेपरेटर फ्लाई ओवर रेल परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन
कुल रकबा				0.010 हेक्टेयर		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता :- इटारसी-उत्तर दक्षिण डाउन गेड सेपरेटर फ्लाई ओवर रेल परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम मेहरागांव

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज कुमार सिंह कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-6147-जि.भू.अ.-2023

सिवनी, दिनांक 14 अगस्त 2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैं:-

अनुसूची

- 1- ग्राम का नाम :-सालीवाड़ा ब.नं.-559 प.ह.नं.-47
2- रा.नि.मं. :- भोमा तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:- 0.27हेक्टेयर

सं.क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हेक्ट.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएँ				वृक्ष		संरचनाएँ	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	विलुप्त परिया
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	208	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	रामनंदन पिता रामजी जाति बोनिया मेहरा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	रामजी पिता शीशु	शासकीय	शासकीय	शासकीय	-	-	-	-
2	210	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	चूरामन पुत्र रामजी जाति बोनिया मेहरा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	शासकीय	चूरामन पि. रामजी	शासकीय	शासकीय	-	-	-	-
3	224/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	महेन्द्रकुमार पुत्र बीसू बैनबती कुंतीबाई पिता बीसू जाति बोनिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	शासकीय	चूरामन पि. रामजी	शासकीय	महेन्द्रकुमार पि. बीसू	-	-	-	-
	223/1					0.01	शासकीय	ग्रामनंदन पि. रामजी	महेन्द्रकुमार पि. बीसू	संतोष पि. दर्शनलाल	-	-	-
4	218/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	रामभरोस पुत्र गयाप्रसाद जाति लुहार कलारबाकी भूमि स्वामी	शासकीय	रामदासपि गयाप्रसाद	शासकीय	भगो बाई बाबूलाल	-	-	-	-
5	218/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	रामदास पुत्र गयाप्रसाद जाति लुहार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	रामभरोस पुयाप्रसा	रामनाथपि. गयाप्रसाद	शासकीय	भगो बाई बाबूलाल	-	-	-	-
6	218/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	रामनाथ पुत्र गया प्रसाद जाति लुहार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	रामदास पि. गयाप्रसाद	शासकीय	शासकीय	भगो बाई बाबूलाल	-	-	-	-
7	155/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	मोहनलाल पुत्र शोभाराम जाति महारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	सुषमा ठाकुर पति राजकुमार	शासकीय	शासकीय	पतिराम उर्फ किशोरीलाल	-	-	-	-
				8.00	कुल योग:-								

क्र.-6148-जि.भू.अ.-2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची

- 1- ग्राम का नाम :-थॉवरी ब.नं.-264 प.ह.नं.-37
 2- रा.नि.मं. :-बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:- 0.80 हेक्टेयर

सं.क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हेक्ट. में	हितवद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएँ				वृक्ष		संरचनाएँ	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	विवरण
1	293/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	रसलाल पिता जंगलू बीबी पति रसलाल जाति गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी अहस्तान्तरणीय	सरहद	अनित गणेशवाल पिता गुलाबदास	सुहागाबाई पिता हरिशंकर	फूलसिंह पिता छिददी	-	-	-	-
2	293/6	भूमिस्वामी	कृषि	0.42	फूलसिंह पि.छिददी श्यामकली पति फूल सिंह जाति गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी अहस्ताणरणीय	सरहद	बिन्दे पिता दबेजी	रसलाल पिता जंगलू	सरहद	-	-	-	-
3	293/9	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	बिन्दे पिता दबेजी जाति गोंड सा. देह भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	फूलसिंह पिता छिददी	प्रभू ना.बा. प्रभा पिता रामजी	रसलाल पिता जंगलू	रमेश पिता छिददी	-	-	-	-
4	293/7	भूमिस्वामी	कृषि	0.22	रमेश पिता छिददी मुन्नी पति रमेश जाति चमार सा. देह भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	फूलसिंह पिता छिददी	म. गंगाबाई पति केशरी	भूरमल पिता उदय	सरहद	-	-	-	-
4				0.80	कुल योग								

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-6149-जि.भू.अ.-2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैं:-

अनुसूची

- 1- ग्राम का नाम :-**थाँवरी** ब.नं.:**-266** प.ह.नं.:**47**
 2- रा.नि.मं. :-**भोमा** तहसील:-**सिवनी** जिला:-**सिवनी**
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:- **1.66 हेक्टेयर**

सं.क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र.हेक्ट. मं.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएँ				वृक्ष		संरचनाएँ	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	विविध एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	40/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	धनीराम पुत्र भारत जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी	सरहद	शासकीय	सरहद	भूरसिंह पि. भारत	-	-	-	-
2	40/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	भूरसिंह पुत्र भारत जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी	सरहद	शासकीय	धनीराम पि. भारत	गनीराम पि. भारत	-	-	-	-
3	40/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	गनीराम पुत्र भारत जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी	शासकीय	शासकीय	भूरसिंह पि. भारत	रंगलाल पिता मनीराम	-	-	-	-
4	40/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	रंगलाल, रामनाथ, फग्गो, रंगवती, रंगिया पिता मनीराम बेजन्ती बेवा रामलाल जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी	शासकीय	शासकीय	गनीराम पि. भारत	शासकीय	-	-	-	-
5	36	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	नूरसिंह पुत्र हजारी जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी	गणेश पि. भूपसिंह	शासकीय	शासकीय	रमेश पि. शिवपाल	-	-	-	-

6	35/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	रमेश पुत्र शिवपाल जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी	गणेश पि. भूपसिंह	आनारकली पि. शिवपाल	नूरसिंह पि. हजारी	फगनीबाई बेवा सोमू	-	-	-	-
7	34	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	पप्पू उईके पिता बालाराम उईके जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी	रमेश पि. शिवपाल	शासकीय	रमेश पि. शिवपाल	सुदेशचंद पिता सुरेशचंद	-	-	-	-
8	33	भूमिस्वामी	कृषि	0.19	सुदेशचंद पुत्र सुरेशचंद जाति परवार पता छपारा सिवनी भूमि स्वामी	शासकीय	शासकीय	फगनीबाई बेवा सोमू	तारा पि. हजारी	-	-	-	-
9	25	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	तारा, गोपाल, शिवपाल, भूपसिंह, नूरसिंह, सुबिया पिता हजारी जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी	शासकीय	सूरज बेवा सुरेशचंद	सुदेशचंद पिता सुरेशचंद	श्यामी पि. राजाराम	-	-	-	-
10	26/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	श्यामी पुत्र राजाराम जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी	शासकीय	सूरज बेवा सुरेशचंद	तारा पि. हजारी	नंदकुमार राजाराम	-	-	-	-
11	26/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	नंदकुमार पुत्र राजाराम जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी	शासकीय	सूरज बेवा सुरेशचंद	श्यामी पिता राजाराम	रामजी पि. राजाराम	-	-	-	-
12	26/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	रामजी पुत्र राजाराम जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी	सिपतलाल पि. झाड	सूरज बेवा सुरेशचंद	नंदकुमार राजाराम	रामकुमार राजाराम	-	-	-	-
13	26/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	रामकुमार पुत्र राजाराम जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी	सिपतलाल पि. झाड	सूरज बेवा सुरेशचंद	रामजी पि. राजाराम	नितीशकुमार पि. राजाराम	-	-	-	-
14	26/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	नितीशकुमार नाबालिग पुत्र नन्दू ऊर्फ नंदकुमार पिता राजाराम संरक्षक पिता नन्दू ऊर्फ नंदकुमार देवेन्द्रकुमार पुत्र रामकुमार कुर्वती रोशनलाल पुत्र श्यामलाल कुर्वती जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी	अजय राय पिता उमाशंकर	सूरज बेवा सुरेशचंद	रामकुमार पिता राजाराम	अजय राय पिता उमाशंकर	-	-	-	-
15	27	भूमिस्वामी	कृषि	0.18	अजय राय पुत्र उमाशंकर राय जाति कलार सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	सिपतलाल पि. झाड	सूरज बेवा सुरेशचंद	नितीशकुमार पि. राजाराम	आशाबाई प. धनीराम	-	-	-	-

16	21/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	आशाबाई पत्नि धनीराम जाति महारा पता सिवनी म.प्र.भूमि स्वामी	सकराबाई पत्नि	कुशुमवती प. राजकुमार	अजय राय पि. उमाशंकर	शासकीय	-	-	-	-
17	21/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	सकराबाई पत्नी मेखराम जाति महारा पता सिवनी म.प्र.भूमि स्वामी	घुस्वती पत्नि देवीप्रसाद	आशाबाई पत्नि धनीराम	सिपतलाल पि. झाड	सिपतलाल पि. झाड				
18	21/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	घुस्वती पत्नी देवीप्रसाद जाति महारा पता सिवनी म. प्र.भूमि स्वामी	धानवतीप. झाडलाल	सकराबाई प. मेखराम	सिपतलाल पि. झाड	शासकीय				
19	18/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.14	विदेशी पुत्र बब्बू जाति गोंड पता सिवनी म.प्र.भूमि स्वामी	शासकीय	रामरतन पि. सोत	शासकीय	तकीम खों पि. रतीम खों				
20	15	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	तकीम खों पि. रतीम खों जुमियाबी नूरबी पिता यतीमखों लियाकत शौकतखों पिता मुनीर खों रतीयाबी हुसेनबी पुत्री मुनीरखों नूरबी मुनीरखों म्याजखों दोरमिया रमजान पिता मुशीरखों रमजानबी पुत्री मुरीद खों जाति मु. निवासी सा. देह भूमि स्वामी	शासकीय	भूदानबोर्ड भेपाल	बिदेशी पिता बब्बू	शासकीय				
20				1.66	कुल योग:-								

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्रणी पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-14-अ-82-2021-22-लिहदा-9491

बैतूल, दिनांक 8 सितम्बर 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्रधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	लिहदा	7.494	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई	लिहदा लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	ख.नं.	कुल रकबा हे.में	अर्जन का रकबा हे. में
1	2	3	4	5
1	देवेन्द्र व० संतोषराव कुन्बी सा०देह भूमिस्वामी	94/4	1.012	1.012
2	भगवंतराव व० लक्ष्मण कुन्बी सा०देह भूमिस्वामी	437/1	0.315	0.315
		437/7	0.081	0.081
3	शंकरराव व० लक्ष्मण कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी	437/2	0.315	0.315
		437/6	0.081	0.081
4	पंजाबराव व० लक्ष्मण कुन्बी सा०देह भूमिस्वामी	437/3	0.315	0.315
		437/5	0.080	0.080
5	गुलाबराव व० लक्ष्मण कुन्बी सा०देह भूमिस्वामी	437/4	0.395	0.395
6	विश्वनाथ व० श्यामराव कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी	444/2	0.405	0.405
		444/4	0.243	0.043

7	भगवान व0 मारोती कुन्बी सा0देह भूमिस्वामी	152/3	1.661	0.380
8	कोंडया व0 वारल्या कुन्बी सा0देह भूमिस्वामी	475/2	0.615	0.615
9	गंगाधर व0 मारोती कुन्बी सा0देह भूमि स्वामी	129/7	0.056	0.056
10	येनू बेवा गेन्दू, रामकिसना, प्रविण,धन्नू व0 गेन्दू कुन्बी सा0देह भूमिस्वामी	461/3	0.044	0.044
11	मिहू व0 सखाराम, कौसू पिता सखाराम कुन्बी सा0देह भूमिस्वामी	461/4	0.042	0.042
12	रघुनाथ व0 माध्या, कोसू, जयवन्ती पिता माध्या सा0देह भूमिस्वामी	463/3	0.599	0.599
		508/1	0.250	0.250
13	आनंदराव व0 शिवराम कुन्बी सा0देह भूमिस्वामी	462/1	0.364	0.364
14	सकू बेवा गेन्दू, गजानंद व0 गेन्दू, बाला, जयमाला, पिता गेन्दू कुन्बी सा0देह भूमिस्वामी	462/2	0.381	0.381
15	गेंदराव व0 महादेव, महादेव व0 गजमल, शंकरराव व0 महादेव, भगरती पत्नि महादेव सा0देह भूमिस्वामी	502/2	0.550	0.509
16	सहादेव व0 गजमल कुन्बी सा0देह भूमिस्वामी	502/3	0.688	0.308
17	पांडूरंग व0 मारोती, मनी पिता सोनया कुन्बी सा0देह भूमिस्वामी	129/5	0.053	0.053
18	लीलाधर पिता मारोती कुन्बी सा0देह भूमिस्वामी	110/5	0.251	0.251
19	नन्धू पिता हिरू सा0देह भूमिस्वामी	142	0.142	0.142
20	नागोराव पिता मल्लू जाति कुन्बी सा0देह भूमिस्वामी	431	1.558	0.458
योग		25	10.496	7.494

- (2) चूंकि लिहदा जलाशय के निर्माण से डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमनबीर सिंह बैस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-42-जि.भू.अ.-2023

जबलपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1) के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 12 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा- 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्ति लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची- (2)

1. ग्राम का नाम :- रीमा ब.नं. 402 प.ह.न. 54
2. रा.नि.मं. :- बरगी तहसील:- जबलपुर जिला:- जबलपुर
3. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल :- 0.3025

स. क.	प्रस्तावित / खसरा नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति किस्म	संख्या	प्रकार	कुर्सी का एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	306	भूमि स्वामी	कृषि	0.3025	गुरुदयाल पिता सूरजभान गुप्ता पता 30 आजाद चौक रामपुर जबलपुर	ख.न. 306 का शेष भाग	सडक W.B.M	ख.न. 306 का शेष भाग	ख.न. 305	-	-	-	-

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जबलपुर, जिला- जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्य प्रदेश शासन पर भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ के. सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 25 सितम्बर 2023

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम शिवपुरा जागीर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-19(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम शिवपुरा जागीर की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

तहसील-नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

(1) भूमि :-				
स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित भूमि (हे.में)
1	2	3	4	5
1	अनीसखां पिता उमरखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	89/2	0.063	0.013
	योग -	1	0.063	0.013
2	शहीदखां पिता नसीरखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	105/1	0.057	0.057
	योग -	1	0.057	0.057
3	इस्लाम पिता अजीजखां हि. 1/4, सलमाउदवीन पिता अजीजखां हि. 1/4, सलमा पिता अजीजखां हि. 1/4, मल्लीबी बेवा अजीजखां हि. 1/4 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	105/2	0.057	0.057
	योग -	1	0.057	0.057
4	बहीदखां पिता घीसेखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	106	0.025	0.025
	योग -	1	0.025	0.025
5	हबीब पिता नसीर जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	109/1	0.212	0.212
	योग -	1	0.212	0.212
6	रहीमखां पिता भोलेखां हि. 1/4, हबीबखां पिता भोलेखां हि. 1/4, जेतुनबी पिता भोलेखां हि. 1/4, शेतानबी पिता भोलेखां हि. 1/4 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	110/1	0.028	0.028
	योग -	1	0.028	0.028

7	नफीसनबी शरीफखां हि. 1/5, फरीदखां शरीफखां हि. 1/5, मुबीनखान शरीफखां हि. 1/5, खुशींदखान शरीफखां हि. 1/5, फरीबादी शरीफखां हि. 1/5 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	111/2	0.114	0.114
	योग -	1	0.114	0.114
8	दौलतखां कल्लूखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	112/1	0.044	0.044
	योग -	1	0.044	0.044
9	सेफुउददिन पिता इज्जतखां हि. 1/5, ताजउददीन पिता इज्जतखां हि. 1/5, आजादउददीन पिता इज्जतखां हि. 1/5, सफरुउददीन पिता इज्जतखां हि. 1/5, मजरुनबी बेवा इज्जतखां हि. 1/5 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	112/2	0.045	0.045
	योग -	1	0.045	0.045
10	जलील खां पिता मोतीखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/1	0.017	0.017
		114/1	0.033	0.033
	योग -	2	0.050	0.050
11	दाउदखां पिता अब्दुल हमीदखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/2	0.017	0.017
		114/2	0.034	0.034
		115	0.013	0.013
		116	0.013	0.013
	योग -	4	0.077	0.077
12	रहीमखां, अयूबखां, शाकिरखां, आकिलखां, जामीलखां, जेतूनबी, जरीनाबी, सन्नोबी, भूरीबी पिता वाहिदखां, खातूनबी बेवा वाहिदखां, आमिनखां, हासिमखां, सलमानखां, नसीमबी पिता अब्दुल्लाखां, नन्नीबी बेवा अब्दुल्लाखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/3	0.017	0.017
		114/3	0.034	0.034
	योग -	2	0.051	0.051
13	आनीसखां पिता आमानतखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	212	0.063	0.063
	योग -	1	0.063	0.063
14	मुन्नाखां पिता कालेखां जाति मेवाती पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	215/3/1	0.699	0.446
	योग -	1	0.699	0.446
	महायोग -	19	1.585	1.282

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 26 सितम्बर 2023

प्र.क्र. 0008/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।

:: अनुसूची ::

1. भूमि का वर्णन :-

- (क) ग्राम :- चौरास (बौरास बराज निर्माण)
(ख) तहसील :- उदयपुरा
(ग) जिला :- रायसेन
(घ) भूमि का क्षेत्रफल :- 5.000 हे.

अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन

क्रं	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हे. में	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे.में
1	2	3	4
1	450/2	0.523	0.146
2	452	0.320	0.320
3	454/1/1/1	0.405	0.405
4	454/1/2	0.307	0.307
5	454/1/1/2	1.550	1.468
6	454/2/1	0.809	0.324
7	454/2/2	0.728	0.081
8	454/2/3	0.725	0.203
9	454/3	0.809	0.623
10	454/4	1.308	1.123

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के निर्माण हेतु अधिग्रहण भूमि ग्राम चौरास
3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालयीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 04/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।

:: अनुसूची ::

1. भूमि का वर्णन :-

- (क) ग्राम :- चौरास
 (ख) तहसील :- उदयपुरा
 (ग) जिला :- रायसेन
 (घ) भूमि का क्षेत्रफल :- 1.004 हे.

अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन

क्रं	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हे. में	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे.में
1	2	3	4
1	326/2/2	0.987	0.056
2	327/1	0.150	0.004
3	327/2/1	0.150	0.040
4	327/2/2/1	0.150	0.020
5	325/1	0.453	0.018
6	325/2	0.364	0.026
7	325/3	0.453	0.054
8	325/4	0.357	0.062
9	304/2/1	1.882	0.164
10	304/1/2	1.550	0.160
11	466	0.599	0.040
12	484/1	2.023	0.090
13	483/1	2.023	0.116
14	483/2/1	1.072	0.056
15	483/2/2	0.951	0.030
16	454/2/3	0.725	0.008
17	454/2/1	0.809	0.060

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के पहुँच मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहण भूमि ग्राम चौरास
3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.006/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।

:: अनुसूची ::

1. भूमि का वर्णन :-

- (क) ग्राम :- दिघावन (पम्प हाउस क-3 के निर्माण)
 (ख) तहसील :- देवरी
 (ग) जिला :- रायसेन
 (घ) भूमि का क्षेत्रफल :- 0.919 हे.

अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन

कं	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हे. में	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे.में
1	2	3	4
1	498/1	0.466	0.075
2	498/2	0.706	0.060
3	498/3	0.707	0.035
4	498/4	0.708	0.035
5	498/5	0.711	0.035
6	497/1	0.809	0.070
7	497/2/1	1.790	0.090
8	496/1	0.971	0.165
9	496/2/1	1.381	0.065
10	496/2/2	0.405	0.054
11	493/1/1	0.470	0.060
12	493/1/2	0.470	0.040
13	493/1/3	0.470	0.030
14	493/1/4	0.470	0.030
15	493/1/5/1	0.628	0.040
16	493/2	0.809	0.035

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के पम्प हाउस क-3 निर्माण हेतु अधिग्रहण भूमि ग्राम दिघावन
 3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालयीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 0007/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।

:: अनुसूची ::

1. भूमि का वर्णन :-

- (क) ग्राम :-चौरास (पम्प हाउस कं-4 निर्माण)
 (ख) तहसील :-उदयपुरा
 (ग) जिला :-रायसेन
 (घ) भूमि का क्षेत्रफल :- 5.689 हे.

अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन

कं	खसरा कमांक	कुल रकबा हे. में	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे.में
1	2	3	4
1	454/2/1	0.809	0.080
2	483/1	2.023	0.596
3	483/2/1	1.072	0.332
4	483/2/2	0.951	0.251
5	483/3	0.772	0.461
6	484/1	2.023	1.685
7	484/2	0.162	0.130
8	484/3	1.639	1.011
9	484/4	1.274	0.340
10	484/5	0.337	0.268
11	484/6	0.869	0.535

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के (पम्प हाउस कं-4 निर्माण) हेतु अधिग्रहण भूमि ग्राम चौरास
3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है।

रायसेन, दिनांक 20 सितम्बर 2023

प्र.कं.0012/अ-82/2023-24 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक -1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

क्रमांक	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
रायसेन म.प्र.	देवरी	ग्राम नयाखेडा प.ह.नं. 30 य. नि.मं.03 तहसील देवरी	कुल 6.831 हे.	भू-अर्जन अधिकारी राजरव बरेली जिला रायसेन म.प्र.	चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम नयाखेडा की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित डूब क्षेत्र ग्राम नयाखेडा की निजी भूमि				
क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	प्रभाबाई पिता शंकर सिंह रघुवंशी	302	2.201	0.080
2	शिवम आ.सुनील कुमार रघुवंशी	303/1	2.007	0.164
3	जीवन आ.मोतीलाल धोबी	311	0.343	0.024
4	नीलेश कुमार आ.गोपाल रघुवंशी	312	1.673	0.445
5	जीवन आ.मोतीलाल धोबी	313/1	1.264	0.110
6	रेखाबाई पुत्री कल्याण सिंह 1/3 रश्मीबाई पुत्री कल्याण सिंह 1/3 पूजाबाई पुत्री कल्याण सिंह 1/3 जाति रघुवंशी	314/1	1.113	0.224
7	गहेन्द्र कुमार आ.लक्ष्मणसिंह हि 1/2 अनिल कुमार आ. लक्ष्मणसिंह 1/2 जाति रघुवंशी	314/2	1.117	0.256

8	रणधीर आ.बोंकेबिहारी 1/2 एवं सीमा पत्नि बोंकेबिहारी रघुवंशी	314/3	1.117	0.101
9	श्रीबाई बेवा मुरारीलाल, राघवेन्द्र, बीरेन्द्र सिंह, अनीताबाई, रमनबाई, सुनीलाबाई, विनीता बाई पुत्र/पुत्री मुरारीलाल रघुवंशी	314/4	1.117	0.303
10	मंगल आ.नन्हेवीर लोधी	316	0.397	0.160
11	अभिषेक कुमार आ.कैलाश कुमार रघुवंशी	318	0.809	0.050
12	राजेन्द्र सिंह आ.रणधीर सिंह रघुवंशी	319/1	0.259	0.104
13	अभिषेक कुमार आ.कैलाश कुमार रघुवंशी	319/2	0.955	0.036
14	शिवम आ.सुनील कुमार रघुवंशी	322	0.235	0.098
15	अरविंद आ.नारायण सिंह जाति रघुवंशी	464	0.332	0.028
16	घनश्याम आ.प्राणसिंह राजपूत	466/1	0.854	0.116
17	राजेश आ.नारायण सिंह रघुवंशी	467/1	1.004	0.553
18	जयराम आ.गोपाल सिंह रघुवंशी	467/2	1.003	0.142
19	नंदकिशोर आ.नारायण सिंह रघुवंशी	470/2	0.717	0.101
20	रमेश कुमार आ.बाबूलाल लोधी	476/2	1.008	0.032
21	राधा धाकड पत्नि मोहन सिंह धाकड जाति किरार	480/2	1.010	0.064
22	रामसिंह आ.मूलचंद जाति लोधी	481	0.170	0.170
23	रामसिंह आ.मूलचंद जाति लोधी	482	0.263	0.130
24	राजेश कुमार आ. प्रहलाद सिंह रघुवंशी	497/3/1/1	4.856	0.080
25	प्रभाबाई पिता शंकर सिंह रघुवंशी	499	0.522	0.522
26	नारायण सिंह आ.कारेलाल 1/2 तुलसीराम आ.कारेलाल जाति ढीमर 1/2	500/1	0.182	0.182
27	मधु पिता लच्छू 1/2 हल्केभैया पिता लच्छू 1/2 जाति ढीमर	500/2	0.182	0.182
28	हीरालाल आ.छोटेलाल 1/4, मुन्ना आ.छोटेलाल 1/4 मोती आ. छोटेलाल 1/4 मुल्लू आ.छोटेलाल 1/4 जाति ढीमर	500/3	0.186	0.186
29	जस्सू आ. गंजी 1/2 दम्नू आ.गंजी 1/2 जाति ढीमर	500/4	0.182	0.182
30	शंकरलाल आ.टन्दू 1/4, बाला आ.टन्दू 1/4 टीकाराम आ.टन्दू गुडडा आ. टन्दू 1/4 जाति ढीमर	501/1	0.272	0.272
31	रूपा, रामकुमार, मुन्ना, देला आ.हल्कन, गायत्रीबाई आ.हल्कन, बाबू, गोडल, आ.हल्कन जाति ढीमर	501/2	0.272	0.272
32	नारायण सिंह आ.कारेलाल 1/2 तुलसीराम आ.कारेलाल 1/2 ढीमर	502/1	0.542	0.020
33	मधु आ.लच्छू 1/2 हल्केभैया आ.लच्छू 1/2 जाति ढीमर	502/2	0.542	0.164
34	हीरालाल आ.छोटेलाल 1/4 मुन्ना आ.छोटेलाल 1/4, मोती आ. छोटेलाल 1/4 मुल्लू आ.छोटेलाल 1/4 जाति ढीमर	502/3	0.538	0.201
35	जस्सू आ.गंजी 1/2 दम्नू आ.गंजी 1/2 जाति ढीमर	502/4	0.542	0.180
36	शंकरलाल आ.टन्दू 1/4, बाला आ.टन्दू 1/4 टीकाराम आ.टन्दू गुडडा आ. टन्दू 1/4 जाति ढीमर	504/1	0.506	0.135
37	गत्ताबाई बेवा हल्कन, बाबू, गोकल, रूपा, रामकुमार, मुन्ना, देला, मैयाजी, आ.हल्कन, शांतिबाई, सुमनबाई, सरोज बाई पुत्रिया हल्कन जाति ढीमर	506	0.567	0.120
38	दुर्गाबाई पिता मंशाराम जाति लोधी	507/1/1/1/1	0.567	0.028
39	श्रीमति जईया बाई पत्नि लच्छू जाति ढीमर	507/1/1/1/2	0.506	0.028
40	बाबूलाल आ.हल्के, गोकल आ.हल्के जाति ढीमर	507/1/1/2	0.506	0.063
41	मोहन आ.मंशाराम 1/3, लीला आ.मंशाराम 1/3, भागचंद आ. मंशाराम 1/3 जाति लोधी	507/2	1.032	0.020
42	भागचंद आ.मंशाराम जाति लोधी	507/3	1.032	0.041
43	मधुसूदन आ.अयोध्या प्रसाद जाति ब्राह्मण	514/1	0.453	0.146
44	गोविन्द प्रसाद आ.अयोध्या प्रसाद जाति ब्राह्मण	514/2	0.449	0.204
45	हूला आ.मल्थर जाति लोधी	528	0.518	0.016
46	हल्कन आ.हूला जाति लोधी	529/1	0.591	0.020
47	प्रेमनारायण आ.हूला जाति लोधी	529/2	0.590	0.020
48	धनसिंह आ.कमोद जाति लोधी	530	0.725	0.028

49	खेमचन्द आ.बारेलाल जाति लोधी	541/1	0.884	0.008
50	हर्षवर्धन आ.जीवनलाल जाति ब्राह्मण	542/2	0.890	0.012
51	दिनेश कुमार आ.नन्हेमैया जाति लोधी	544	0.737	0.008
कुल योग-			40.339	6.831

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरे हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू अर्जन) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

प्र.कं.0011/अ-82/2023-24 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक -1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद् द्वारा अनुसूची कं-2 के कॉलम क्रं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

क्रमांक	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
रायसेन म.प्र.	उदयपुर	ग्राम रमपुरा प. ह.नं. 29 रा. नि.मं.03 तहसील उदयपुर	कुल 4.038 हे.	भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..	चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम रमपुरा की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित डूब क्षेत्र ग्राम रमपुरा की निजी भूमि				
क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	जगरामपुरी आ.गुलाबपुरी, हरनामपुरी आ. देवीपुरी, सूरजबाई पुत्री देवीपुरी धनराजपुरी,रूपपुरी आ.प्रसादपुरी, रामकलीबाई वि.बलरामपुरी, रमेशपुरी, बीरा, आ.बलरामपुरी, सविताबाई पुत्री बलरामपुरी	488	1.161	0.048
2	हरनामपुरी आ.देवीपुरी हि 1/2सरजूबाई पुत्री देवीपुरी जाति पुरी हि 1/2	489/1	0.028	0.028
3	रामपुरी, जगरामपुरी, आ.गुलाबपुरी, धनराजपुरी, रूपपुरी, बाबूपुरी आ. प्रसादपुरी, रामकली वि.बलरामपुरी, रमेशपुरी, बीरापुरी,सविताबाई पुत्र/पुत्री बलरामपुरी जाति पुरी	489/2	0.097	0.097
4	कल्ला आ.मुन्ना जाति लोधी	490/1	0.623	0.135
5	जगरामपुरी आ.गुलाबपुरी, हरनामपुरी आ. देवीपुरी, सूरजबाई पुत्री देवीपुरी धनराजपुरी,रूपपुरी आ.प्रसादपुरी, रामकलीबाई वि.बलरामपुरी, रमेशपुरी, बीरा, आ.बलरामपुरी, सविताबाई पुत्री बलरामपुरी	490/2	0.591	0.135
6	अनुज कुमार,नीरज कुमार, मीना, रीना, निधि, आ.हरीशकुमार ब्राह्मण	493/1	0.708	0.220
7	श्री हनुमान जी महाराज टेकराधाम समिति रमपुरा सरबराहकार, कृष्णविहारी आ.नर्वदाप्रसाद डूबे रमपुरा देवरी	493/2	0.708	0.060
8	रामकिशन, सुरेश कुमार, अशोक कुमार, सत्यनारायण, राकेश कुमार आ.हरिशंकर, राधाबाई, वि.हरिशंकर, मृदुलादेवी वि.श्रीलाल, सौरभ कुमार आ.श्रीलाल,गौरव कुमार, ना.बा.आ.श्रीलाल	494	3.585	0.155

9	रामकिशन, सुरेश कुमार, अशोक कुमार, सत्यनारायण, राकेश कुमार आ.हरिशंकर, राधाबाई, वि.हरिशंकर, मृदुलादेवी वि.श्रीलाल, सौरभ कुमार आ. श्रीलाल गौरव कुमार, ना.बा.आ.श्रीलाल	497	2.428	0.044
10	राहुल आ.ब्रजेश कुमार जाति रघुवंशी	498/2/2	1.619	0.020
11	सुरेश कुमार आ.कोमल सिंह रघुवंशी	498/3/1/2	0.809	0.121
12	कुंतीबाई बेवा कृष्णकुमार रघुवंशी	498/5	1.165	0.099
13	कुंतीबाई बेवा कृष्णकुमार रघुवंशी	504/1/1	3.469	0.138
14	अमित कुमार आ.कुंजबिहारी रघुवंशी	504/1/2	1.821	0.436
15	बुद्धेसिंह आ.नथू लोधी	504/2/1	0.105	0.105
16	सीताराम आ.बुद्धे सिंह	504/2/2	0.607	0.130
17	पार्वती बाई पत्नि तुलाराम लोधी	505/1	0.097	0.097
18	पार्वती बाई पत्नि तुलाराम लोधी	505/2	0.287	0.287
19	रामकिशन, सुरेश कुमार, अशोक कुमार, सत्यनारायण, राकेश कुमार आ.हरिशंकर, राधाबाई, वि.हरिशंकर, मृदुलादेवी वि.श्रीलाल, सौरभ कुमार आ. श्रीलाल गौरव, ना.बा.आ.श्रीलाल	506	2.133	0.405
20	मधु पिता लच्छू जाति नोरिया जाति डीमर	507/1/1	0.308	0.308
21	छोटेलाल आ.लालचंद नोरिया जाति डीमर	507/1/2/1	0.156	0.156
22	प्रेम आ.लालचन्द नोरिया जाति डीमर	507/1/2/3	0.158	0.158
23	परशोत्तम आ.लालचंद नोरिया जाति डीमर	507/1/2/2	0.005	0.005
24	कोमल सिंह आ.लालचंद नोरिया जाति डीमर	507/1/3/1/1	0.156	0.156
25	परशोत्तम सिंह आ.लालचंद नोरिया जाति डीमर	507/1/3/1/2	0.152	0.152
26	हल्केभैया आ.लच्छू नोरिया जाति डीमर	507/1/3/2	0.303	0.303
27	हरकिशन आ.मुल्ली जाति डीमर	507/2	0.032	0.032
28	टन्दू आ.मुल्लू जाति डीमर	507/3	0.008	0.008
कुल योग-			23.319	4.038

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू अर्जन) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

प्र.कं.0013/अ-82/2023-24 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक -1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची कं-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

क्रमांक	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हि.में)	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
रायसेन म.प्र.	उदयपुर	ग्राम रिछावर प.ठ.नं. 29 तहसील देवरी	कुल 2.797 हे.	भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..	चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत खूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम रिछावर की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत खूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम रिछावर की निजी भूमि				
क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	यशपाल सिंह आ.फूलसिंह जाति लोधी	279/2	1.182	0.010
2	गुलाबसिंह आ.ग्याप्रसाद जाति लोधी	279/1	1.177	0.010
3	मनीष कुमार आ.आनंदीलाल लोधी	280	0.878	0.202
4	शिवमजन आ.हरप्रसाद जाति लोधी	281/1	0.607	0.120
5	मंगलसिंह आ.हरप्रसाद जाति लोधी	281/2/2	0.284	0.120
6	सरू आ.हरप्रसाद जाति लोधी	282/1/1	0.413	0.138
7	मायाबाई नाबा.आ.कल्याण सिंह, बीरबल नाबा. आ.कल्याण सिंह संरक्षक सरवन हलकीबाई बेवा कल्याण सिंह जाति लोधी	282/1/2	0.012	0.012
8	मायाबाई नाबा.आ.कल्याण सिंह, बीरबल नाबा. आ.कल्याण सिंह संरक्षक सरवन हलकीबाई बेवा कल्याण सिंह जाति लोधी	282/2/2	0.296	0.118
9	मिथलेश कुमार आ.मंगलसिंह जाति लोधी	282/2/1	0.129	0.092

10	हरप्रसाद आ.गज्जी जाति ढीमर	283	1.526	0.599
11	हरिनारायण आ.मथई जाति लोधी	287	0.825	0.242
12	प्रेमनारायण आ.शिवप्रसाद कोटवार सेवाखातेदार	297	3.035	0.024
13	हरप्रसाद आ.गज्जी जाति ढीमर	301	2.671	0.020
14	श्रीराम जानकी मंदिर व्यवस्थापक रघुवीर प्रसाद आ.मुंशीलाल एवं श्रीमान जिला अध्यक्ष महोदय रायसेन	312	0.275	0.008
15	मीराबाई बैवा लक्ष्मीनारायण लोधी, लीलावती आ.लक्ष्मीनारायण जाति लोधी	374/1/1	1.619	0.025
16	मेहरवान सिंह आ.चरन सिंह जाति लोधी	374/1/2	0.354	0.115
17	छोटेलाल आ.हरप्रसाद जाति लोधी	375/1/1/1	0.312	0.015
18	राजाराम आ.हरप्रसाद जाति लोधी	375/2/1	1.406	0.009
19	राजाराम आ.हरप्रसाद जाति लोधी	376/1	0.037	0.037
20	चुन्नीलाल, भारत, खुमान सिंह, रामबाई, कमला बाई पुत्र/पुत्री मुरलीधर जाति लोधी	376/2	0.036	0.036
21	हस्सी आ.हल्कू	377	0.166	0.166
22	मुल्लोबाई पति लक्ष्मीनारायण जाति लोधी	380	1.011	0.437
23	मुल्लोबाई पति लक्ष्मीनारायण जाति लोधी	381	0.146	0.146
24	मुलायमपुरी आ.मंगलपुरी	382	0.016	0.016
25	शोभाराम आ.शादीलाल लोधी	379	1.157	0.080
कुल योग-			19.570	2.797

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू अर्जन) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगनन सृजित नहीं करेगा।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

प्र.कं.0009/अ-82/2023-24 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक -1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

क्रमांक	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
रायसेन म.प्र.	उदयपुर	ग्राम पिपलिया खुर्द प.ठ.नं. 29 रा.नि.नं. 03 तहसील उदयपुर	कुल 4.386 हे.	भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..	चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम पिपलिया खुर्द की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित डूब क्षेत्र ग्राम पिपलिया खुर्द की निजी भूमि				
क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	जगदीश प्रसाद आ.कालूराम जाति काछी	207/2	0.546	0.050
2	जगदीश प्रसाद आ.कालूराम जाति काछी	207/3	0.607	0.028
3	लच्छो बाई बेवा कंघई, राजाराम आ.कंघई, राधेश्याम आ.कंघई, मनको बाई आ.कंघई, हलकोबाई आ.कंघई जाति काछी	207/1	0.506	0.065
4	संतोष, वृदावन, दिनेश, आ.हल्केवीर, कमलाबाई, विमलाबाई आ. हल्केवीर जाति काछी	208	0.283	0.283
5	श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर ट्रस्ट सोकलपुर अध्यक्ष हाकम सिंह	210/1	0.344	0.344
6	जयदीप सिंह आ.बृदावन जाति काछी	210/2	0.065	0.065
7	फूलसिंह, चंदनसिंह, मुन्नालाल आ.जगन, कलीबाई पुत्री जगन डीमर	211	0.648	0.525

8	फूलसिंह, चंदनसिंह, मुन्नालाल आ.जगन, कलीबाई पुत्री जगन डीमर	240	0.555	0.555
9	संतोष कुमार आ.हल्केवीर जाति काछी	212/1/1	0.544	0.008
10	संतोष कुमार आ.हल्केवीर जाति काछी	213/3	0.210	0.134
11	संदीप कुमार आ.दिनेश कुमार जाति काछी	213/1/1	0.417	0.090
12	संदीप कुमार आ.दिनेश कुमार जाति काछी	213/1/2	0.405	0.160
13	दिनेश आ.हल्केवीर जाति काछी	213/2/1	0.809	0.101
14	वृदावन आ.हल्केवीर जाति काछी	214/1/1	0.696	0.020
15	वृदावन आ.हल्केवीर जाति काछी	214/1/2	0.348	0.030
16	हेमंत ना.बा.वली आ. कल्यान सिंह जाति लोधी	237	0.105	0.105
17	रामसिंह आ.कीरत सिंह जाति लोधी	238/1	0.052	0.052
18	नरबद बाई बेवा पर्वतसिंह जाति लोधी	238/2	0.053	0.053
19	हल्केवीर आ.दरयाव जाति लोधी	239	0.210	0.210
20	मोहन सिंह आ.हल्केवीर जाति लोधी	241/2	0.380	0.015
21	वंशीधर आ.गोविंद सिंह जाति साहू	244/1	0.186	0.186
22	वंशीधर आ.गोविंद सिंह जाति साहू	245/1	0.728	0.020
23	रामकलीबाई, रामेतीबाई पुत्री हरकिशन	244/2	0.202	0.202
24	शोभाराम आ.झलकन सिंह जाति लोधी	255/1	0.381	0.381
25	हल्केवीर आ.भवानी जाति लोधी	255/2	0.311	0.311
26	मल्खेवीर आ.भवानी जाति लोधी	254/2/3	1.728	0.121
27	फूलसिंह, गुलाब आ.ग्याप्रसाद जाति लोधी	254/1	0.202	0.112
28	लेकिन सिंह आ.छोटेराल, परषोत्तम आ.छोटेराल, नारायण सिंह आ. छोटेराल, गोपाल सिंह आ.छोटेराल, बडीबाई पुत्री छोटेराल	253/1	1.295	0.160
कुल योग-			12.816	4.386

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू अर्जन) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सुजित नहीं करेगा।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raison.nic.in एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

प्र.कं.0010/अ-82/2023-24 घूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक -1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची कं-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

क्रमांक	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
रायसेन म.प्र.	उदयपुर	ग्राम टिमरावन प.ड.नं. 30.नि. नं.3 तहसील उदयपुर	कुल 13.894 हे.	भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..	चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम टिमरावन की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित डूब क्षेत्र ग्राम टिमरावन की निजी भूमि				
क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	कीर्तिकुमार आ.बाला प्रसाद ब्राह्मण	584	1.825	0.008
2	कलीबाई पुत्री धूरी डीमर	591	1.400	0.101
3	बीरेन्द्र, गोविन्द, मोहन आ.बाबूलाल लोधी	607/1	1.008	0.228
4	बीरेन्द्र, गोविन्द, मोहन आ.बाबूलाल लोधी	607/2	3.148	0.154
5	राममोहन आ.मुंशीलाल श्रीवास्तव	484/1	0.782	0.105
6	बृजमोहन आ.मुंशीलाल श्रीवास्तव	484/2	1.146	0.066
7	झमरतीबाई बेवा बाबूलाल लोधी	485	0.781	0.080
8	भगवानदास, जमनाबाई, अजुद्धीबाई, वर्षा, बीनाबाई, काशीबाई, मुन्नी बाई पुत्र/पुत्री लोटा डीमर	608	0.992	0.405

9	मगवानदास आ.भोला ढीमर	609	1.906	0.798
10	रंजीत आ.मुरलीधर कीर	611	0.287	0.060
11	तीरथ आ.हल्केवीर कीर	630/1	0.405	0.008
12	रेखाबाई बेवा सुरेन्द्र सिंह, नेपाल, नेतराम, सचेन्द्र आ.सुरेन्द्र सिंह कीर	641	0.113	0.056
13	कैलाश आ.तुलसीराम कीर	640/3/1	0.221	0.146
14	रेखाबाई बेवा सुरेन्द्र सिंह, नेपाल, नेतराम, सचेन्द्र आ.सुरेन्द्र सिंह कीर	640/3/2	0.252	0.040
15	राधाबाई पति हल्के, अरविन्द्र पिता हल्के, जसरथ पिता किशन कीर	606	0.562	0.008
16	बलीराम आ.हल्केवीर, अनीताबाई पति बलीराम रघु.	473	2.853	0.305
17	धनंजय आ.उषम सिंह कीर	637	1.194	0.024
18	मोहन आ.अजमेर, कूअरबाई बेवा अजमेर, रामवती पुत्री अजमेर कीर	636	0.599	0.060
19	सुप्रिया बाई विधवा बीरवल, महेन्द्र सिंह, महेश कुमार, नरेन्द्र सिंह, चंद्रवती पुत्र/पुत्री बीरवल कीर	624	0.599	0.024
20	रंजीत आ.मुरलीधर कीर	623	1.797	0.202
21	रामचरन आ.बाबूलाल कीर	622/1	0.232	0.057
22	दुर्गाप्रसाद आ.बाबूलाल कीर	622/2	0.236	0.101
23	रसिक आ.बाबूलाल कीर	622/3	0.236	0.077
24	प्रीतम आ.बाबूलाल कीर	622/4	0.236	0.101
25	दुलीचन्द्र आ.छोटेला कौर	622/5	0.300	0.053
26	हल्कीबाई वि.रामदयाल, बृजमोहन, ओमप्रकाश पुत्रगण रामदयाल कीर	622/6	0.300	0.028
27	रमेश आ.छोटेला कौर	622/7	0.300	0.028
28	प्रभुदयाल आ.जीवनसिंह कीर	621/1	0.829	0.467
29	प्रेमनारायण आ.जीवनसिंह कीर	621/2	0.832	0.416
30	महेश कुमार आ.जीवन सिंह कीर	621/3	0.599	0.315
31	महेश कुमार आ.जीवनसिंह कीर	620	0.231	0.133
32	मोहन आ.अजमेर, कूअरबाई बेवा अजमेर, रामवती पुत्री अजमेर कीर	619	0.348	0.032
33	बृजेन्द्र सिंह आ.मटरू कीर	614/1/1	1.618	0.032
34	हल्का आ.परमलाल कीर	479/1/2	1.348	0.242
35	भावचन्द्र आ.परमलाल कीर	479/1/3	1.351	0.016
36	रमेश कुमार आ.परमलाल कीर	479/2/1	0.765	0.016
37	चेनसिंह आ.रमेश कीर	479/2/2	0.449	0.008
38	मुल्लू, हरिराम आ.मंशा, सोवरन, लखन आ.भैयालाल, हरिशंकर, अजुद्धी पुत्र कुदउआ कीर रमिया वि.कुदउआ जाति कीर	478	1.408	0.008
39	मदन सिंह आ.भैयालाल रघुवंशी	475/1	0.265	0.146
40	चन्द्रकांत आ.भैयालाल रघुवंशी	475/2	0.263	
41	सियाबाई बेवा गुड्डू रघु, मुकेश ना.बा.पिता गुड्डू रघु	475/3	0.260	0.340
42	बलीराम आ.हल्केवीर, अनीताबाई पति बलीराम रघु	474	0.340	
43	बलीराम आ.हल्केवीर, अनीता बाई पति बलीराम विमला, लता बाई, उषाबाई पुत्री हल्केवीर	469	0.567	0.567
44	इन्द्रकुमारी आ.रामसिंह रघु	470	2.396	0.200
45	चेतनसिंह आ.सुंदरलाल रघु	430/1/1	0.809	0.084
46	अनोखीबाई पति बाबूलाल, धर्मेन्द्र आ.बाबूलाल रघु	430/2	1.665	0.260
47	मथुराबाई बेवा अजय सिंह गौड, निशा, महक, गुंजन, ना.बा.आ. अजय सिंह सरक्षक मथुराबाई, शिल्पा, हल्की पुत्रिया अजय सिंह	432/1	2.023	0.060
48	विनीताबाई वि.प्रताप सिंह, पवन कुमार ना.बा. सरक्षक माँ स्वयं जाति गौड	432/2	2.023	
49	हजारीलाल आ.अमान सिंह रघु	336	0.239	0.008
50	हजारीलाल आ.अमान सिंह रघु	338	1.145	0.130
51	सुल्तान आ.भैयालाल कीर	429/2	1.943	0.050
52	ताराबाई पति छोटेला रघु	428	0.850	0.125
53	सीताराम आ.सेठवीर रघु	426	2.311	0.425
54	राजेश कुमार आ.राधेश्याम रघु	427/1/1	0.105	0.024

55	राजेश कुमार आ.राधेश्याम रघु	427/2	0.445	0.024
56	रघुनाथ आ.बाबूलाल रघु	427/1/2	0.105	0.018
57	रघुनाथ आ.बाबूलाल रघु	427/3	0.445	0.042
58	जगदीश आ.बाबूलाल	427/1/3	0.109	0.020
59	जगदीश आ.बाबूलाल रघु	427/4	0.445	0.025
60	रसिकबिहारी आ.बाबूलाल रघु	427/1/4	0.109	0.019
61	रसिकबिहारी आ.बाबूलाल रघु	427/5	0.445	0.022
62	लक्ष्मीबाई पत्नि मूलचंद्र कीर	425/1	1.121	0.040
63	मोहन सिंह आ.कोमल सिंह रघु	422	0.202	0.090
64	मोहन सिंह आ.कोमल सिंह रघु	424	2.651	0.130
65	संतोष, केदार आ.उधम, सुप्यार सिंह आ.भैयालाल कीर	421	0.255	0.064
66	लक्ष्मीबाई पत्नि दुलीचन्द कीर	420	0.279	0.101
67	अर्जुन सिंह आ.सुमेर सिंह, गुड्डू आ.सुमेर सिंह कीर	419	0.563	0.180
68	अर्जुन सिंह आ.सुमेर सिंह, गुड्डू आ.सुमेर सिंह कीर	418	0.502	0.160
69	कमोद सिंह आ.खुशीलाल कीर	417/1	0.247	0.041
70	श्यामलाल, चन्द्रभान आ.मित्तर कीर	417/2	0.251	0.064
71	हल्केवीर आ.सेठवीर रघु	406	2.226	0.008
72	जीवन सिंह आ.परमलाल कीर	416	0.356	0.356
73	जीवन सिंह आ.परमलाल कीर	415	0.611	0.004
74	सविताबाई पत्नि रमेश कुमार	413	0.384	0.384
75	सविताबाई पत्नि रमेश कुमार रघु	414	0.461	0.160
76	सविताबाई पत्नि रमेश कुमार रघु	412	0.097	0.097
77	सविताबाई पत्नि रमेश कुमा रघु	411	5.941	0.559
78	नाथूराम आ.कोमल सिंह लोधी	394/1	0.156	0.080
79	प्रभाबाई पुत्री खुशाल सिंह	401	1.016	0.550
80	प्रभाबाई पुत्री खुशाल रघु	402	1.012	0.068
81	चम्पाबाई आ.जीवन सिंह रघु	403	2.027	0.064
82	भगवानसिंह, बेनी प्रसाद, मंगलसिंह, चोखेलाल, टीकाराम, मदनलाल आ.शिबूलाल ठीमर	397	1.987	0.263
83	पतिराम आ.थम्मनसिंह चमार	400/1	1.331	1.110
84	रामवतीबाई बेवा दयालसिंह, जग्गू उर्फ, झबूलाल, सुग्रीव, बिनोद आ. दयाल सिंह जाति चमार	400/2	1.331	
85	रामभरत उर्फ रामवगस आ.थम्मनसिंह जाति चमार	400/3	1.332	
86	मुन्नीबाई बेवा श्रीलाल राजेश, पुसपाल पिता श्रीलाल जाति चमार	400/4	1.332	
87	मुन्ना ना.बा.पिता शिबूलाल ठीमर	396	1.360	0.004
88	मुन्ना ना.बा.पिता शिबूलाल ठीमर	395	0.251	0.080
89	उमेदीबाई पत्नि टंकसिंह लोधी	388	0.214	0.214
90	नाथूराम आ.कोमल सिंह लोधी	389	0.032	0.032
91	प्रभाबाई पत्नि नाथूराम लोधी	390/1/1	0.809	0.049
92	उमेदीबाई पत्नि टंकसिंह लोधी	390/1/2	0.303	0.025
93	छोटेलाल आ.बाबूलाल ब्राह्मण	390/1/3	0.930	0.106
94	जालम सिंह आ.कोमलसिंह लोधी	386/2	1.619	0.040
95	जालम सिंह आ.कोमलसिंह लोधी	385/1	0.303	0.289
96	जालम सिंह आ.कोमलसिंह लोधी	385/5	0.024	0.020
97	नाथूराम आ.कोमल सिंह लोधी	385/2	0.219	0.068
98	नाथूराम आ.कोमल सिंह लोधी	385/4	0.160	0.088
99	भुजबल, शीलाबाई, फुल्ली, झल्लीबाई, हक्कीबाई पुत्र/पुत्री बुद्धा लोधी	380	3.063	0.709
कुल योग-			89.754	13.894

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में, कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू अर्जन) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद कुमार दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

क्र. 348-भू-अर्जन-2023.

रायसेन, दिनांक 27 सितम्बर 2023

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन के लिए पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- रायसेन, तहसील- गौहरगंज के 8 ग्रामों की कुल 82.483 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे। प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है। भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है।

अतः रायसेन जिले-की तहसील- गौहरगंज के कुल 8 ग्रामों की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

ग्राम:- सराकिया		रा.नि.न.:- मण्डीदीप 01				
जिला:-रायसेन		तहसील:-गौहरगंज		उप-तहसील:-औबेदुल्लागंज		
क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6	7
1	144	7.004	4.461	निजी	सिंचित	मो. शकील खॉ पिता हसन खॉ एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
2	147/1	1.964	0.909	निजी	सिंचित	इरशादखॉ नौशादखॉ असफाकखॉ साजिदखॉ माजिदखॉ पिता यासीन खॉ जैद खॉ पिता सादिक खॉ सरंक्षक इरशाद खॉ पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
3	147/2	3.237	1.989	निजी	सिंचित	मो शजिद खॉ मो माजिद खॉ पिता यासीन खॉ पता सराकिया गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
4	147/3/1	2.428	0.371	निजी	सिंचित	साजिदा पत्नी वी पत्नि स्व मो सादिक ना वा मो जैद खान आ सादिक खॉ सरंक्षक माता स्वयं एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
5	147/3/2	0.809	0.186	निजी	सिंचित/आवासीय	साजिदा वी पत्नि स्व मो सादिक ना वा मो जैद खान आ सादिक खॉ सरंक्षक माता स्वयं हिस्सा 0.50 पैसा मो असफाक आ यासीन खॉ हिस्सा 0.50 पैसा जाति पता निनयापुरा मेवाती
6	147/4/1	0.809	0.132	निजी	सिंचित/आवासीय	मो इरशाद खॉ मो नौशादखॉ आ यासीन खॉ जाति मुसलमान पता निनयापुरा मेवाती भूमि स्वामी
7	147/4/2/2/2/1	0.198	0.040	निजी	आवासीय	मोहम्मद इरशाद खॉ, मोहम्मद नौशाद खॉ पिता यासीन, अशरफवी वी पत्नी समशेर खॉ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
8	147/4/2/1	0.405	0.049	निजी	व्यावसायिक	सौरभ गर्ग पिता बेनीमाधव गर्ग, इकबाल अली पिता शौकत अली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
9	148/1	0.964	0.050	निजी	व्यावसायिक	शाविया वी बेवा चन्दु खॉ, एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

10	148/2/1	0.405	0.046	निजी	व्यावसायिक	मेहफूज खान पिता आ चन्दू खॉ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
11	149/1	0.720	0.062	निजी	व्यावसायिक	श्रीमति ईगिता विन्दल पत्नी मनीष विन्दल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
12	149/2	0.725	0.046	निजी	व्यावसायिक	नवीन मदान पिता नन्दलाल मदान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
13	142	0.190	0.356	निजी	सिंचित	हसनखॉ पिता शाहमत खॉ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी एवं शासकीय म.प्र.शासन
14	141	4.142	0.820	निजी	सिंचित/व्यावसायिक	एहसान खान पिता शरीफ खान एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
15	174	2.212	0.673	निजी	सिंचित/व्यावसायिक	फरीद खॉ पिता हसन खॉ जाति मेवाती एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
16	172	0.364	0.243	निजी	सिंचित/व्यावसायिक	डालचन्द चौकसे पिता नन्हैलाल चौकसे एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
17	170	0.813	0.175	निजी	सिंचित	अशोक कुमार जितेन्द्रकुमार पिता आ हेमराज एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
18	151	2.040	0.027	निजी	सिंचित/व्यावसायिक/औद्योगिक एवं खनन	संजीव कुमार पिता मुन्नालाल एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
19	173	12.890	0.136	निजी	सिंचित/व्यावसायिक/आवासीय	ओम प्रमोटर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा0 लि0 सि0 द्वारा डायरेक्टर ओमप्रकाश गुप्ता पिता आत्मज श्री किशनलाल गुप्ता एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
20	150	1.138	0.044	निजी	सिंचित	राजकुवर पाटीदार पत्नी एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
प्रभावित रकबे का कुल योग:-			10.815			

ग्राम:- खामखेड़ा

रा.नि.न.:- मण्डीदीप 01

जिला:- रायसेन

तहसील:- गौहरगंज

उप-तहसील:- आंबेदुल्लागंज

क्र० सं०	सर्वेक्षण सख्या	कुल रकबा (हे.मे)	अर्जित रकबा (हे.मे) (कॉलम-3 कुल रकबा में से)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6	7
1	46/1	1.011	0.792	निजी	सिंचित	ममताबाई पत्नी नरवद सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
2	46/2/1	0.202	0.108	निजी	सिंचित	ममताबाई पत्नी नरवद सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
3	46/2/2	2.292	0.858	निजी	सिंचित	बंशीलाल पिता नानाजी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
4	164/1	0.336	0.041	निजी	आवासीय	मेसर्स शुभारम्भ बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा पार्टनर्स मारुत चाडक पिता राजेश चाडक एवं योगेश माहेश्वरी पिता चन्द्रगोपाल माहेश्वरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
5	164/4/1	0.221	0.016	निजी	आवासीय	मेसर्स शुभारम्भ बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा पार्टनर्स मारुत चाडक पिता राजेश चाडक एवं योगेश माहेश्वरी पिता चन्द्रगोपाल माहेश्वरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

6	165/1/1	2.023	0.745	निजी	सिंचित	शाहिद खान पिता शफीक खान एवं जाहिद खान आ शफीक खान व हुजेफा ना बा आ जाहिद खान संर पिता स्वयं जाति मुसलमान पता नि0नयापूरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
7	165/2/1	2.023	0.847	निजी	सिंचित	शाहिद खान पिता शफीक खान एवं जाहिद खान आ शफीक खान व हुजेफा ना बा आ जाहिद खान संर पिता स्वयं जाति मुसलमान पता नि0नयापूरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
8	33	0.809	0.511	निजी	सिंचित	अर्जुनसिंह पिता बाबूलाल जाति परमार पता लहाडपुर रायसेन म.प्र.भूमि स्वामी
9	15/2/2/2	0.667	0.540	निजी	सिंचित	चन्द्र सिंह पिता बाबूलाल, अपूर्वा वैद्य पुत्री संजय जैन संजय जैन पिता स्व श्री डी एल जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
10	15/2/2/1	0.304	0.160	निजी	सिंचित	संजय जैन पिता डी एल, मीता जैन पत्नी संजय जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
11	15/2/2/3 /2	0.203	0.006	निजी	सिंचित	संजय जैन पिता डी एल, मीता जैन पत्नी संजय जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
12	45/3/3	0.405	0.034	निजी	सिंचित	तारा पाटीदार पत्नी लीलाकिशन पाटीदार जाति पाटीदार पता ई-8/132भारत नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
13	51/1/1	2.635	1.026	निजी	सिंचित	श्यामलाल पिता धनलाल जाति पाटीदार पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
14	51/1/2	2.635	0.449	निजी	सिंचित	मोहित कुमार पाटीदार पिता श्यामलाल पाटीदार जाति पाटीदार पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
15	160/1	0.299	0.033	निजी	सिंचित	गनेशराम पिता पूरनसिंह जाति गोंड पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16	160/2	0.607	0.233	निजी	सिंचित	सुशीलाबाई पत्नी तुलाराम रंजीत पिता तुलाराम दुर्गेश पिता तुलाराम सूरज पिता तुलाराम दीपक पिता तुलाराम जाति गोंड पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
17	160/3	0.607	0.398	निजी	सिंचित	गेंदालाल पिता पूरन सिंह जाति गोंड पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
18	18	3.273	0.429	निजी	सिंचित	संजय जैन पिता डी एल जैन एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
19	34/1	1.214	0.296	निजी	सिंचित	अर्जुन सिंह पिता बाबूलाल परमार जाति परमार पता लहाडपुर रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20	47/1	1.991	0.362	निजी	सिंचित	विवेक परमार पिता घीसीलाल परमार पता बागसेवनिया हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
21	47/2	1.991	0.157	निजी	सिंचित	विनय परमार पिता घीसीलाल परमार पता बागसेवनिया हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
22	163/1	1.416	0.088	निजी	सिंचित	सत्यप्रकाश पाण्डे डॉ.अदित्य प्रकाश पाण्डे पुत्र रामप्रकाश पाण्डे जाति ब्राह्मण पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 डॉ वेदप्रकाश पाण्डे पिता आ रामप्रकाश पाण्डे जाति ब्राह्मण पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
23	163/2	0.280	0.096	निजी	सिंचित	मेसर्स शुभारम्भ बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा पार्टनर्स मारुत चाडक पिता राजेश चाडक एवं योगेश माहेश्वरी पिता चन्द्रगोपाल माहेश्वरी पता खामखेड़ा गौहरगंज भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था
24	29	0.991	0.682	निजी	सिंचित	राकेश परमार पिता बाबूलाल जाति परमार पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन म.प्र.भूमि स्वामी
25	53	12.733	1.694	निजी	सिंचित/ आवासीय	फूलवतीबाई पत्नी श्यामलाल जाति पाटीदार एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

75

26	162	1.700	0.021	निजी	सिंचित	सत्यप्रकाश पाण्डे, डॉ. आदित्यप्रकाश पाण्डे पुत्र रामप्रकाश पाण्डे जाति ब्राम्हण पता भोपाल 1/2, डॉ.वेदप्रकाश पाण्डे पिता रामप्रकाश पाण्डे जाति ब्राम्हण पता भोपाल 1/2.
27	161/1/2	2.043	0.492	निजी	सिंचित	यमक पाटीदार पिता महावीर पाटीदार जाति पाटीदार पता खामखेड़ा गौहरगंज भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
28	161/3/2	3.485	0.757	निजी	सिंचित	मो अली जकरिया पिता असमद खॉ पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2, दुर्दैदारुल जलालवानो पिता असमद खॉ पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2
29	161/1/1/1	1.817	0.275	निजी	सिंचित	यमक पाटीदार पिता महावीर पाटीदार जाति पाटीदार पता खामखेड़ा गौहरगंज भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
30	161/1/1/2	0.227	0.007	निजी	सिंचित	मो अली जकरिया पिता असमद खॉ पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 दुर्दैदारुल जलालवानो पिता असमद खॉ पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2
31	50/1	0.202	0.133	निजी	सिंचित	ममताबाई पत्नी नरवद सिंह जाति राजपूत पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
32	150/2/5	0.130	0.007	निजी	सिंचित	गुलरेज खॉ पिता मुजफ्फर खॉ पता नयापूरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
33	152	0.364	0.029	निजी	सिंचित	इरशादखॉ नौशादखॉ असफाकखॉ साजिदखॉ माजिदखॉ पिता यासीन खॉ जैद खॉ पिता सादिक खॉ सरक्षक इरशाद खॉ एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
34	155	1.615	0.718	निजी	सिंचित	एहसान खान पिता शरीफ खान एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
35	136	0.450	0.069	निजी	सिंचित	इकबालअली, रिजवानअली, सलमानअली, शाहबाजअली पिता शौकतअली पता मण्डीदीप गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी
36	157	3.485	0.164	निजी	सिंचित/आवासीय/व्यावसायिक	मेसर्स शुमारम्स बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा पार्टनर्स मारुत चाडक पिता राजेश चाडक एवं योगेश माहेश्वरी पिता चन्द्रगोपाल माहेश्वरी न एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
37	28/2	1.447	0.037	निजी	सिंचित	विनय परमार पिता घीसीलाल परमार पता बागसेवनिया हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
38	17/1	0.094	0.064	निजी	सिंचित	संजय जैन पिता डी एल जैन मीमांस जैन पिता संजय जैन पता बंसल बिहार कालोनी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
39	17/2	0.400	0.034	निजी	सिंचित	अर्जुन सिंह पिता बाबूलाल परमार जाति परमार पता लहाडपूर रायसेनमध्य प्रदेश भूमि स्वामी "
प्रभावित रकबे का कुल योग:-			13.408			

ग्राम:- हमीरी				रा.नि.न.:- मण्डीदीप 01		
जिला:- रायसेन				उप-तहसील:- औबेदुल्लागंज		
तहसील:- गौहरगंज						
क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे. में) (कॉलम-3 कुल रकबा में से)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6	7
1	96/3	0.797	0.175	निजी	सिंचित	पन्नालाल पुत्र रामरतन जाति चमार पता हमीरी गौहर गंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

2	96/2	3.035	0.779	निजी	सिंचित	रुप सिंह पुत्र पन्नालाल पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
3	96/1	3.035	0.994	निजी	सिंचित	शंकरलाल पुत्र पन्नालाल पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
4	95/1/3/1	3.648	0.378	निजी	सिंचित	प्रताप सिंह पुत्र रतीराम जाति गुर्जर पता गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
5	86/1	0.676	0.221	निजी	सिंचित	भारतसिंह पुत्र ज्ञान सिंह जाति मीणा पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6	86/2	0.676	0.309	निजी	सिंचित	जीवनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह मीणा जाति मीणा पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
7	91/2	0.712	0.562	निजी	सिंचित	जीवनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति मीणा पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
8	91/1	0.716	0.052	निजी	सिंचित	भारतसिंह पुत्र ज्ञान सिंह मीना जाति मीना पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
9	148/1	0.461	0.104	निजी	सिंचित	भारतसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति मीणा पता हमीरी गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी
10	85/2	1.688	1.358	निजी	सिंचित	जीवनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति मीणा पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
11	85/3	1.683	0.092	निजी	सिंचित	अर्जुनसिंह पुत्र ज्ञानसिंहमीणा जाति मीणा पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
12	83/2	1.735	0.624	निजी	सिंचित	रमेशचन्द्र पुत्र प्रहलाददास एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
13	80/2/1/2 /1	0.773	0.545	निजी	सिंचित	मो मुशाहिद पुत्र कल्लू खां पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
14	80/2/2	0.809	0.103	निजी	सिंचित	अतिका खान पत्नी मिस्वाह खां पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
15	80/1/2	0.405	0.089	निजी	सिंचित	मिस्वाह खां पुत्र कल्लू खां पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16	82/3	1.068	0.013	निजी	सिंचित	मो मुशाहिद पुत्र कल्लू खां पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
17	82/2/4	0.944	0.388	निजी	सिंचित	आमिश खान नाबालिग संरक्षक पुत्र तवरेज खां पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
18	82/2/3	0.944	0.417	निजी	सिंचित	सानिया खान नाबालिगसंरक्षक पुत्री तवरेज खां पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
19	82/2/2	0.944	0.417	निजी	सिंचित	आबिदा बेगम पत्नी तवरेज खां पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20	82/2/1	0.943	0.226	निजी	सिंचित	तवरेज खां पुत्र मुजफ्फर खां पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
21	82/1/1	0.339	0.006	निजी	सिंचित	मुनव्वर खां पुत्र मुज्जफर खां पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
22	56/1	1.955	0.487	निजी	सिंचित	गजराज सिंह पुत्र बाबूलाल जाति परमार पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
23	56/2	2.428	0.478	निजी	सिंचित	बालाप्रसाद पुत्र बाबूलाल जाति परमार पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
24	56/3	2.428	0.448	निजी	सिंचित	शेरसिंह पुत्र बाबूलाल जाति परमार पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
25	53	3.319	0.559	निजी	सिंचित	पदमसिंह पिता रामलाल एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
26	54	1.214	0.307	निजी	सिंचित	रामसिंह पुत्र पन्नालाल पता हमीरी 1/2 भाग, संजय पुत्र गुमानसिंह 1/2 भाग पता हमीरी गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी
प्रभावित रकबे का कुल			10.131			

योग:-						
ग्राम:- मूडला				रा.नि.न.:- मण्डीदीप 01		
जिला:-रायसेन				तहसील:-गौहरगंज		
				उप-तहसील:-औबेदुल्लागंज		
क्र० सं०	सर्वेक्षण सख्या	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे. में) (कॉलम-3 कुल रकबा में से)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6	7
1	97	1.214	0.537	निजी	सिंचित	हेमराज पुत्र गनपतसिंह पता मूडला गौहरगंज रायसेन
2	96/2	1.623	0.225	निजी	सिंचित	अनिल उर्फ अर्पित पुत्र सीताराम जाति पाटी दार पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
3	88/2	2.953	0.986	निजी	सिंचित	विनोद कुमार पुत्र बालाप्रसाद एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
4	88/3	4.892	1.209	निजी	सिंचित	विनोद कुमार पुत्र बालाप्रसाद एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
5	86/2/2	0.870	0.411	निजी	सिंचित	अनिल उर्फ अर्पित पुत्र सीताराम जाति पाटीदार पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6	86/2/1	0.405	0.018	निजी	सिंचित	सुनील पुत्र सीताराम जाति पाटीदार पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
7	85/1/1	1.275	0.672	निजी	सिंचित	आशा पुत्री राजेन्द्र प्रसाद पता मूडला गौहरगंज रायसेन
8	85/1/2	1.153	0.093	निजी	सिंचित	बागमल पुत्र मानक सिंह जाति मीना पता गौहरगंज
9	78	2.132	0.458	निजी	सिंचित	कृष्णाकांत पाटीदार पुत्र वैजनाथ पाटीदार एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
10	48	2.447	0.272	निजी	सिंचित	विनोद कुमार पुत्र बालाप्रसाद एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
11	33/2/1/1/1	2.903	0.425	निजी	सिंचित	मंजू पटेल पत्नी नीरज पटेल एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
12	33/2/1/1/2	0.273	0.139	निजी	सिंचित	अम्बुज पटेल पुत्र छोगमल पटेल पता जाटखेड़ी भोपाल
13	32	2.825	1.098	निजी	सिंचित	अम्बुज पटेल पुत्र छोगमल पटेल पता जाटखेड़ी भोपाल
14	31/1/3/1	1.420	0.155	निजी	सिंचित	धनश्याम पुत्र रामनारायण पाटीदार जाति पाटी दार पता मूडला गौहरगंज भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
15	31/1/3/2	1.425	0.863	निजी	सिंचित	ऋषि प्रसाद पुत्र रामनारायण जाति पाटीदार पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
16	31/1/3/3	1.515	0.423	निजी	सिंचित	मनोज कुमार पुत्र रामनारायण पाटीदार जाति पाटीदार पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
17	29/3/2	0.647	0.388	निजी	सिंचित	ऋषि प्रसाद पुत्र रामनारायण जाति पाटीदार पता मूडला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
कुल योग			8.372			
ग्राम:- वमूलिया पवार				रा.नि.न.:- मण्डीदीप 01		
जिला:-रायसेन				तहसील:-गौहरगंज		
				उप-तहसील:-औबेदुल्लागंज		
क्र० सं०	सर्वेक्षण सख्या	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे. में) (कॉलम-3 कुल रकबा में से)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6	7
1	196	0.575	0.420	निजी	सिंचित	उजेरजमां पिता अजीजमां पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी

2	173	2.428	1.074	निजी	सिंचित	अरुणकान्त पिता श्यामलाल एवं अन्य निवासी ग्राम भूमि स्वामी
3	190	7.485	1.081	निजी	सिंचित	उर्मिला जैन पत्नि ज्ञानचन्द्र एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमि स्वामी
4	186	2.023	0.179	निजी	सिंचित	धनसिंह पिता रामदयाल एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमि स्वामी
5	174	1.214	1.115	निजी	सिंचित	अरुणकांत पिता श्यामलाल जाति पाटीदार पता वामूलिया पवार गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी
6	197	2.059	0.515	निजी	सिंचित	उज्जरजमां पिता अजीजमां पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी
7	187/1	2.185	1.278	निजी	सिंचित	कुसुम पाटीदार पत्नी संजय पाटीदार जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
8	175	1.214	0.193	निजी	सिंचित	तुलसीराम पुत्री हरलालजाति पाटीदार पता वामूलिया पवार गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी
9	199	4.727	0.093	निजी	सिंचित	लीलाबाई पाटीदार पत्नी देवकरण उर्फ देववक्स पाटीदार एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमि स्वामी
10	192/1/1	3.565	0.272	निजी	सिंचित	मोहमद शाकिर पिता मोहमद कासिम एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमि स्वामी
11	192/2	0.951	0.885	निजी	सिंचित	उज्जरजमां पिता अजीजमां पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
12	172/2	0.809	0.007	निजी	सिंचित	कमल सिंह पिता बंशीलाल पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
13	172/3	0.809	0.498	निजी	सिंचित	वीरेन्द्रकुमार पत्नी तुलसीराम जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, उदय पिता श्यामलाल जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी.
14	188	4.153	0.432	निजी	सिंचित	मनोज पिता रामनारायण एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमि स्वामी
15	176	4.101	0.126	निजी	सिंचित	गायत्रीबाई पत्नी कैलाशनारायण एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमि स्वामी
16	198/2/2	1.350	0.244	निजी	सिंचित	पिनन चावला पिता रामुमल चावला पता भोपाल हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
17	198/1/2/2	0.725	0.387	निजी	सिंचित	लीलाबाई पत्नी देवकरण जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
18	198/1/2/1	0.805	0.364	निजी	सिंचित	लीलाबाई पाटीदार पत्नी देवकरण उर्फ देववक्स पाटीदार पता मिसरोद भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
19	198/1/2/2	0.895	0.720	निजी	सिंचित	राजकुमार पिता विद्या प्रसाद पाटीदार जाति पाटीदार पता हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20	198/1/2/3	0.287	0.062	निजी	सिंचित	शीला पाटीदार पुत्री विद्या पाटीदार व पत्नि जगदीश पाटीदार एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमि स्वामी
21	171	1.214	0.009	निजी	सिंचित	वीरेन्द्रकुमार पत्नी तुलसीराम एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमि स्वामी
22	193	5.071	2.028	निजी	सिंचित	श्री गणेश मंदिर स्थित मंडीदीप द्वारा फूलचंद आरुघोलाल सर जिलाध्यक्ष महोदय रायसेन पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश निजी संस्था
23	152	7.794	0.163	निजी	सिंचित	श्यामलाल पिता हरलाल एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमि स्वामी
कुल योग			12.145			

ग्राम:- धनखेड़ी						रा.नि.न.:- मण्डीदीप 01
जिला:-रायसेन			तहसील:-गौहरगंज			उप-तहसील:-औबेदुल्लागंज
क्र० सं०	सर्वेक्षण सख्या	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में) (कॉलम-3 कुल रकबा में से)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6	7
1	60/2/1	1.052	0.752	निजी	सिंचित	संजय पिता भोजराज जाति पाटीदार पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
2	60/2/2	0.530	0.180	निजी	सिंचित	संजय पिता भोजराज जाति पाटीदार पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
3	63/1/1	1.952	0.547	निजी	सिंचित	काशीप्रसाद पिता रामसेवक एवं अन्य नाम पता निवासी भूमि स्वामी समभाग
4	63/2/1/1/2	0.405	0.271	निजी	सिंचित	गंगाराम पिता भोलाप्रसाद जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
5	63/2/2	0.821	0.360	निजी	सिंचित	गंगाराम पिता भोलाप्रसाद जाति मीना पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
6	45	1.875	0.006	निजी	सिंचित	जगदीश पिता चैनसिंह जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी
7	44/1	0.324	0.329	निजी	सिंचित	जगदीश पिता चैनसिंह जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी
8	62/1/2/1	0.615	0.011	निजी	सिंचित	रमेश कुमार पिता श्यामलाल जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
9	62/1/2/2	0.619	0.205	निजी	सिंचित	ओमप्रकाश पिता उमराव सिंह एवं अन्य नाम पता निवासी भूमि स्वामी
10	62/2/2	0.085	0.080	निजी	सिंचित	संतोष कुमार लोवंशी पिता रामचरणलोवंशी पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
11	62/2/4	1.190	0.936	निजी	सिंचित	रामचरण पिता बुद्धा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
12	62/2/3	0.938	0.384	निजी	सिंचित	चुन्नीलाल पिता बुद्धालाल एवं अन्य नाम पता निवासी भूमि स्वामी
13	62/1/1/2	0.514	0.008	निजी	सिंचित	देवी सिंह पिता उमराव सिंह जाति पाटीदार पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
14	43/1/1	0.405	0.058	निजी	सिंचित	जगदीश पिता चैनसिंह जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
15	43/1/2	0.082	0.082	निजी	सिंचित	सोनाबाई पत्नी चैन सिंह जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16	43/2/1	0.267	0.267	निजी	सिंचित	अमन पाटीदार पिता कामता प्रसाद पाटीदार जाति पाटीदार पता सलैया हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
17	43/2/2	0.294	0.008	निजी	सिंचित	चंदन सिंह पिता रेवतीलाल एवं अन्य नाम पता निवासी भूमि स्वामी
18	41	14.254	3.174	निजी	सिंचित	मानकुंवर पत्नी गोविन्द प्रसाद एवं अन्य नाम पता निवासी भूमि स्वामी
19	44/2/1	0.991	0.361	निजी	सिंचित	अमन पाटीदार पिता कामता प्रसाद एवं अन्य नाम पता निवासी भूमि स्वामी
कुल योग			8.019			

ग्राम:- पोलाहा						रा.नि.न.:- मण्डीदीप 01
जिला:- रायसेन			तहसील:- गौहरगंज			उप-तहसील:- औबेदुल्लागंज
क्र० सं०	सर्वेक्षण सख्या	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में) (कॉलम-3 कुल रकबा में से)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6	7
1	401	14.221	2.608	निजी	सिंचित / आवासीय	राजकिशोर आ०-मैयालाल एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
2	386/1	2.749	0.009	निजी	सिंचित	कौशलया पाल बेवा फूलचन्द जाति पाल पता समरघा हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
3	386/2	0.550	0.378	निजी	सिंचित	राजेश पाल पिता फूलचन्द जाति पाल पता समरघा हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
4	386/3	0.550	0.550	निजी	सिंचित	रुपेश पाल पिता फूलचन्द जाति पाल पता समरघा हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
5	386/4	0.550	0.545	निजी	सिंचित	दिनेश पाल पिता फूलचन्द जाति पाल पता समरघा हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
6	388/1/1	0.226	0.214	निजी	सिंचित	अनीता मीना पति रूपसिंह मीना पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
7	388/1/2	0.227	0.153	निजी	सिंचित	राघेश्याम साहू पिता घासीराम साहू पता मंडीदीप रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
8	388/2/1	0.101	0.101	निजी	व्यावसायिक	अभिषेक गाँधी पिता उत्तम चंद गाँधी पता रायपुर छत्तीसगढ़ रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
9	388/2/2	0.100	0.059	निजी	व्यावसायिक	प्रमोद कुमार सेठिया पिता करनी घन सेठिया पता रायपुर छत्तीसगढ़ रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
10	388/2/3	0.100	0.006	निजी	व्यावसायिक	राजेश लखोटिया पिता बालकिशन लखोटिया पता रायपुर छत्तीसगढ़ रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
11	389	17.761	4.609	निजी	सिंचित	चौखीलाल पुत्र फुदीलाल एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
12	407	9.858	2.099	निजी	सिंचित	सीताराम पुत्र रामसिंह एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
13	402	1.708	0.715	निजी	सिंचित	हेमंत कुमार पुत्र मैयालाल जाति लोधी पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी
14	395/3	2.646	0.058	निजी	सिंचित	ग्यारसीबाई बेवा किशोरीलाल एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
15	406	1.833	0.078	निजी	सिंचित	सुनीता पत्नी विजय श्रीवास्तव एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
कुल योग			12.182			
ग्राम:- नादोर						रा.नि.न.:- मण्डीदीप 01
जिला:- रायसेन			तहसील:- गौहरगंज			उप-तहसील:- औबेदुल्लागंज
क्र० सं०	सर्वेक्षण सख्या	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में) (कॉलम-3 कुल रकबा में से)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6	7
1	87/2	0.296	0.179	निजी	सिंचित	बसन्तीलाल पुत्र घनलाल जाति लोधी पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
2	87/1	0.129	0.129	निजी	सिंचित	राजकुमार रामनानी पिता कुशलदास रामनानी पता स्टेट कालोनी ईदगाह हिल्स हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
3	88/2/2/1	0.806	0.213	निजी	सिंचित	अनिसाबी पत्नी इदशादअली पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
4	62/2	4.719	0.373	निजी	सिंचित	रामसिंह पिता परमसुख एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

5	62/1/1	1.554	0.388	निजी	सिंचित	रामसिंह पिता परमसुख एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
6	62/1/2	0.806	0.226	निजी	सिंचित	शशांक जैन पिता शिखरचंद जैन एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
7	66/3	1.898	0.738	निजी	सिंचित	ज्ञानसिंह पुत्र मोहन सिंह परमार एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
8	45/1	2.337	1.159	निजी	सिंचित	सबाईसिंह पुत्र हरप्रसाद एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
9	45/2/2	1.165	0.017	निजी	सिंचित	गीताबाई बेवा दौलत सिंह एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
10	47	1.271	0.441	निजी	सिंचित	अशरफ खान पुत्र समदखान एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
11	54/3	2.387	0.423	निजी	सिंचित	इमरतसिंह पुत्र बाफूलाल परमार जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
12	51/1/2	2.035	0.081	निजी	सिंचित	जीतमल पुत्र सट्टी जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
13	51/2/2	2.036	0.255	निजी	सिंचित	गोविन्दसिंह पुत्र सट्टी जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
14	48	1.214	0.55	निजी	सिंचित	मुबीन खान पुत्र समदखान एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
15	50/2/2	0.226	0.01	निजी	सिंचित	जीतमल पुत्र सट्टी जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16	61/1/2	2.152	0.894	निजी	सिंचित	खूबीलाल पुत्र धनलाल पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
17	61/3	3.159	0.169	निजी	सिंचित	भगवान सिंह पिता धनलाल एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
18	61/2/2	2.055	1.095	निजी	सिंचित	बसन्तीलाल पुत्र धनलाल जाति लोधी पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
19	61/2/1	0.680	0.071	निजी	सिंचित / व्यावसायिक	राजकुमार रामनानी पिता कुशलदास रामनानी एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
कुल योग			7.411			

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी गौहरगंज जिला रायसेन को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमूदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

अरविन्द दुबे, कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 22 अगस्त 2023

क्र. B-5972-एक-7-3-2022 (भाग-एक).—रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक ए-4818-एक-7-3-2022-भाग-1, जबलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर एवं खण्डपीठ, ग्वालियर के न्यायालय/रजिस्ट्री हेतु गुरुवार दिनांक 16 नवम्बर 2023 एवं शुक्रवार दिनांक 17 नवम्बर 2023 को अवकाश घोषित करते हुए उसके एवज में शनिवार दिनांक 2 सितम्बर 2023 एवं शनिवार दिनांक 23 सितम्बर 2023 को कार्यदिवस घोषित किया जाता है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
प्रमोद कुमार अग्रवाल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता).

जबलपुर, दिनांक 28 अगस्त 2023

क्र. बी-6149-तीन-10-42-75.—एतद्वारा, यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित न्यायाधीश अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे. यह अधिसूचना तालिका के स्तम्भ क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं, यदि कोई हों, को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है।

No.B-6149-III-10-42-75.—The Judge named in the column No. (3) of the following table is hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column No. (2) of the table in addition to her place of posting for the period mentioned in column No. (4) for holding Link Court. This notification is being issued in supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Court for the place mentioned in Column No. (2) of the table, if any.—

TABLE

S. No.	Places, where Link Court is to be held (District)	Name of the Officer and designation	Period in a month for which Link Court is to be held
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shahgarh (Sagar)	Smt. Jyotsana Tomar, I Additional Judge to I Civil Judge, Junior Division, Banda.	15 days

जबलपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2023

क्र. बी-6252-तीन-10-42-75.—एतद्वारा, यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित न्यायाधीश अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे।

No.B-6252-III-10-42-75.—The Judge named in the column No. (3) of the following table is hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column No. (2) of the table in addition to his place of posting for the period mentioned in column No. (4) for holding Link Court.

TABLE

S. No.	Places, where Link Court is to be held (District)	Name of the Officer and designation (3)	Period in a month for which Link Court is to be held (4)
(1) 1.	(2) Jumnardeo (Chhindwara)	Shri Sandeep Patil, District & Additional Session Judge, Amarwada.	2 Weeks

By order of Hon'ble the Chief Justice,
SANTOSH PRASAD SHUKLA, Registrar (District Establishment).

जबलपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2023

क्र. A-5336-दो-2-18-2022.—श्री रूपम वेदी, रजिस्ट्रार (W&I), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 14 से 17 अगस्त 2023 तक, चार दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री रूपम वेदी, रजिस्ट्रार (W&I), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रूपम वेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (W&I), के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3734-दो-2-46-2019.—श्री जयंत शर्मा, तत्कालीन संकाय सदस्य (वरिष्ठ), मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर वर्तमान में इक्कीसवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एम. पी. / एम. एल. ए.) भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत निम्नानुसार अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (1) दिनांक 24 अप्रैल 2018 से 22 अप्रैल 2020 तक, 02 वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- (2) दिनांक 23 अप्रैल 2020 से 22 अप्रैल 2022 तक, दो वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

शुद्धि-पत्र

जबलपुर, दिनांक 25 अगस्त 2023

क्र. A-5187-दो-3-420-80-भाग-बारह.—सुश्री साधना माहेश्वरी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-2945, दिनांक 7 जुलाई 2023 द्वारा सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2023 को अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। परंतु उक्त आदेश में टंकण की त्रुटिवश सुश्री माहेश्वरी की सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2023 टंकित हो गई है।

अतः, सुश्री माहेश्वरी के उक्त आदेश में सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2023 के स्थान पर दिनांक 31 मई 2023 पढ़ा जावे। शेष यथावत् रहेगा।

यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

जबलपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2023

क्र. B-6473-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री अनिल कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक-3487-इक्कीस-ब(एक)-2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम, 1955 के नियम 20ए के अनुसार श्री सिंह की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश	253
अर्द्धवेतन अवकाश	47

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 253 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
- (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश
के एवज में नगद = _____ X 47
भुगतान. 30

जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त 2023

क्र. A-5275-दो-2-21-2022.—श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को दिनांक 31 जुलाई 2023 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 31 जुलाई से 5 अगस्त 2023 तक, छह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-5277-दो-2-56-2022.—सुश्री सुमन श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 7 से 9 अगस्त 2023 तक, तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री सुमन श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री सुमन श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A-5283-दो-2-51-2021.—श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, विदिशा को दिनांक 9 अगस्त 2023 का एक दिन का ऐच्छिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 9 से 11 अगस्त 2023 तक, तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा बसेर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A-5285-दो-2-31-2018.—श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को 14 से 18 अगस्त 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 अगस्त 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-5287-दो-2-50-2015.—श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पन्ना को 11 से 15 सितम्बर 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 सितम्बर 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 से 18 सितम्बर 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेश चन्द्र पाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-5289-दो-2-50-2018.—डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 24 जुलाई से 12 अगस्त 2023 तक, बीस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-5291-दो-2-46-2023.—श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 7 से 8 अगस्त 2023 तक, दो दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-5293-दो-2-33-2023.—श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 1 से 2 सितम्बर 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 31 अगस्त 2023 के सतना जिले में कजलियां के स्थानीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-5295-दो-2-33-2023.—श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 22 से 27 सितम्बर 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-5297-दो-2-101-2017.—श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-5299-दो-2-22-2023.—श्री सुनील कुमार जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को होम एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लॉक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब (एक), 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. A-5301-दो-2-64-2021.—श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी (सीनियर), प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3440-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 30 सितम्बर 2023 तक, तेईस माह की अवधि के लिए अट्टाईस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2023

क्रमांक: एफ.01-11/2020/सात/शा.7 :: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला मुरैना में नवीन अनुविभाग पोरसा का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील पोरसा के समस्त पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। तत्पश्चात् अनुविभाग अम्बाह में तहसील अम्बाह के समस्त पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2023

क्रमांक: एफ.01-11/2020/सात/शा.7, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ.01-11/2020/सात/शा.7, दिनांक 29/09/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

Bhopal, the 29th September 2023

No. F-01-11/2020/VII/Sec-7:: In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, forms new sub-division Porsa in district Morena comprising of all patwari halkas of tehsil Porsa. After its formation, Sub-division Ambah will comprise of all patwari halkas of tehsil Ambah.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH KUMAR KAUL, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2023

क्रमांक: एफ.01-15/2022/सात/शा.7 :: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला जबलपुर में नवीन तहसील कटंगी का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील पाटन के राजस्व निरीक्षक मण्डल कटंगी के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 21 एवं 28 से 37 तक कुल 31 पटवारी हल्के तथा तहसील मझौली का पटवारी हल्का नम्बर 25 इस प्रकार कुल 32 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। तदुपरांत तहसील पाटन में राजस्व निरीक्षक मण्डल कटंगी के पटवारी हल्का नम्बर 22 से 27 एवं 38 तथा राजस्व निरीक्षक मण्डल पाटन के पटवारी हल्का नम्बर 39 से 80 इस प्रकार कुल 49 पटवारी हल्के तथा तहसील मझौली में 84 पटवारी हल्के शेष रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2023

क्रमांक: एफ.01-15/2022/सात/शा.7, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ.01-15/2022/सात/शा.7, दिनांक 29/09/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

Bhopal, the 29th September 2023

No. F-01-15/2022/VII/Sec-7:: In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, forms new tehsil Katangi in district Jabalpur which would comprise of 32 patwari halkas, i.e., patwari halka number 28 to 37 and 1 to 21 of RI circle Katangi of teshil Patan and patwari halka number 25 of tehsil Majhouli. After its formation, teshil Patan would comprise of 49 patwari halkas, i.e., patwari halka number 22 to 27, 38 of RI circle Katangi and patwari halka number 39 to 80 of RI circle Patan and Teshil Majhouli would comprise of remaining 84 patwari halkas.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH KUMAR KAUL, Under Secy.